



भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना

सीईएन संख्या 08/2024



7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती



भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या - 08/2024

(7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती)

महत्वपूर्ण तिथियां और समय

सांकेतिक सूचना की तिथि	28.12.2024
प्रकाशन तिथि	22.01.2025
ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि और समय	23.01.2025 (00.00 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	22.02.2025 (23:59 बजे तक)
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय अर्थात् 22.02.2025 (23:59 बजे) के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि	24.02.2025 (23:59 बजे तक)
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि और समय (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' (Create an account) फॉर्म में भरे गए विवरण और 'चयनित रेलवे' के विकल्प में संशोधन नहीं किया जा सकता है)	25.02.2025 से 06.03.2025 (23:59 बजे तक)

- नोट:** 1. विस्तृत सीईएन - 08/2024 अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इस सीईएन के पैरा 21.0 (ए) में उल्लिखित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रदर्शित होगा।
2. सीबीटी की तिथि और सीबीटी परीक्षा का परिणाम इस सीईएन के पैरा 21.0 (ए) में सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।
3. पीईटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण तथा पैनल के लिए तारीख की सूचना समय-समय पर इस सीईएन के पैरा 21.0 (बी) यथा सूचीबद्ध रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) की वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी। आरआरसी की ओर से आरआरबी द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों एवं इस सीईएन के पैरा - 04 में यथा प्रदर्शित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न इकाईयों में 7^{वें} केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल - 1 में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक **22.02.2025** को 23:59 बजे तक चुने गए रेल भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

रिक्तियों का विवरण- एक नजर में

विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस सीईएन में शामिल किए गए विभिन्न पदों के पैरामीटर (अर्हता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी इत्यादि के पद की उपयुक्तता) **अनुलग्नक (ए)** में दर्शाया गया है और रेलवे के सभी अधिसूचित पदों के लिए पदवार रिक्तियां **अनुलग्नक (बी)** में दी गई हैं। तथापि रेलवे को इन रिक्तियों में आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित करने का अधिकार है।

पद	प्रारंभिक वेतन (रुपए में)	चिकित्सा मानक	दिनांक 01.01.2025 को आयु*	कुल रिक्तियां
7 ^{वें} केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 के लिए विभिन्न पद	18000	अनुलग्नक 'ए' के अनुसार	18-36 वर्ष	32438
रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक- 'बी' में दिया गया है। सीसीएए के अंतर्गत रिक्तियां केवल रेल स्थापना में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के लिए लागू हैं।				

*कोविड-19 महामारी के कारण रेल भर्ती परीक्षा में भाग लेने से वंचित उम्मीदवारों को छूट प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।

नोट: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक एवं सीसीए के लिए आरक्षण तथा विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट इस सीईएन में निहित विवरण के अनुसार लागू होगी।

पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2025 तक पद (पदों) के लिए निर्धारित योग्यता/पात्रता** की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी जिनके अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद घोषित किए जाएंगे, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।** [आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) अधिनियम, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है] जो कि [sansad.in>legislation>bills](https://sansad.in/legislation/bills) पर उपलब्ध है, और भारत के राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।]
2. ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के सीईएन में एवं आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध सभी अनुदेशों और सूचनाओं को भली-भांति पढ़ लें।
3. **उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के पैरा 21.0 (ए और बी) में निर्दिष्ट आरआरबी/आरआरसी की केवल आधिकारिक वेबसाइटों को देखें और नकली वेबसाइटों और नौकरी का झांसा देने वालों से सावधान रहें।** सीबीटी की तिथि और सीबीटी का परीक्षा परिणाम इस सीईएन के पैरा 21.0 (ए) में उल्लिखित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। पीईटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा तथा पैनल के लिए तारीख की सूचना समय-समय पर इस सीईएन के पैरा 21.0 (बी) यथा सूचीबद्ध रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) के वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।
4. **उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर एवं वैध तथा सक्रिय वैयक्तिक ई-मेल आईडी होनी चाहिए और भर्ती की पूरी अवधि तक उन्हें सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि आरआरबी/आरआरसी द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं केवल एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। आरआरबी/आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। इस सीईएन के अंतर्गत एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है।**
5. इस सीईएन के पैरा 21.0 (ए) में सूचीबद्ध आरआरबी की वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं। इस सीईएन में इसके सभी अधिसूचित पदों के लिए चयनित रेलवे को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उम्मीदवार केवल एक रेलवे में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक रेलवे में आवेदन करने के परिणामस्वरूप सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने के किसी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य और विवर्जित (डिबार) कर दिया जाएगा।
6. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी अर्हता सुनिश्चित करने के लिए इस सीईएन - 08/2024 में दर्शाई गई रिक्ति तालिका और उसमें उल्लिखित पदों के लिए पैरामीटर को भली-भांति पढ़ना चाहिए और इसके पश्चात अपनी पात्रता के अनुसार चुने गए रेलवे के अंतर्गत रेलों और पदों के लिए विकल्प देना अपेक्षित है। **रेलवे का एक बार किया गया चयन अंतिम होगा।**
7. उम्मीदवार की पात्रता केवल उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र या प्रमाण-पत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट को संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना झूठी/गलत होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने पर अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने पर, उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।

उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद भी आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम तिथि तक संशोधन शुल्क का भुगतान करके “खाता बनाएं (Create an account) फॉर्म” में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी सहित) और 'चयनित रेलवे के अतिरिक्त आवेदन विवरण को संशोधित कर सकते हैं। लेकिन आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम तिथि (दिनांक 06/03/2025) के बाद आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए कोई भी आवेदन आरआरबी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. **मेडिकल फिटनेस: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदित पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं।** आवेदित पदों के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने पर उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी।
9. **01.01.2025 तक आयु सीमा:** निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी विवरण पैरा 5.1 में दर्शाया गया है।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट इत्यादि के दावे के लिए निर्णायक तिथि, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
11. सीबीटी/पीईटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी/पीईटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र/ दिनांक/ पाली में परिवर्तन हेतु अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को एक एकाउंट बनाना होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने भारतीय रेलवे के 2024 के किसी सीईएन के लिए पहले से ही खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन अर्थात (सीईएन नंबर 08/2024) के लिए लॉगइन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने खाता नहीं बनाया है, तो उसे इस सीईएन के लिए आवेदन करने से पहले 'खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि एक बार खाता बनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार खाता बनाने के बाद 'खाता बनाएं' (Create an account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में 'खाता बनाएँ' चरण के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे फिर भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्रवाई आवेदन के अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों को भर्ती के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया में सहजता होगी।
13. ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) और चुने हुए रेलवे को छोड़कर, वह किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करने के लिए दिनांक **25.02.2025 से 06.03.2025** (23.59 बजे तक) तक प्रत्येक अवसर के लिए रु. 250/- (नॉन रिफंडेबल) का संशोधन शुल्क जमाकर संशोधित कर सकता है। 'खाता बनाएं' (Create an account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) और चुने हुए रेलवे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
14. **06.03.2025 के पश्चात, आरआरबी आवेदन में दी गई सूचना में संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।**
15. अंतिम क्षण की व्यस्तता से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले पंजीकरण कराएं और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना हो सकती है।

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी सूचना/जानकारी के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ई-मेल rrb.help@csc.gov.in

फोन नंबर 0172-565-3333 और 9592001188

उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक किसी भी कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आरआरबी का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

- कदाचार :** यदि कोई भी उम्मीदवार जो परीक्षा/सीबीटी के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [इस संबंध में आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो sansad.in>legislation>bills पर उपलब्ध है और भारत का राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।]
- प्रतिबंधित सामग्री:** परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, घड़ी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/पेंसिल, बटुआ/पर्स, बेल्ट, जूते और धातु से बने पहनावे और आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। उम्मीदवार द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उनके हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने की सलाह दी जाती है, **क्योंकि इनको सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।**
- परीक्षा के चरण:** यह परीक्षा एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBA) होगी। रेलवे प्रशासन को एकल अथवा बहु-स्तरीय पद्धति/स्तर में सीबीटी परीक्षा को आयोजित कराने का अधिकार है। CBA में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच कराई जाएगी।
- बुलावा-पत्र :** अभ्यर्थियों को आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और परीक्षा की तारीख की सूचना, ई-कॉललेटर और यात्रा प्राधिकार (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
- अंकों का सामान्यीकरण :** बहु सत्रों में शामिल परीक्षा के सभी चरणों के लिए अंक सामान्यीकृत किए जाएंगे।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट करना :** पीईटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग रेलवे/आरआरसी वाइज रिक्तियों (जो रेल प्रशासन की आवश्यकतानुसार बढ़ या घट सकती हैं) के तीन गुणा की दर से की जाएगी। पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होगी। कई सत्रों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों को सामान्यीकरण (नार्मलाइज्ड) किया जाएगा।
- दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग** रेलवे/आरआरसी के अनुसार 1:1 की दर से की जाएगी, जो सीबीटी में उनकी मेरिट और पीईटी में अर्हता के आधार पर होगी। **दस्तावेज सत्यापन (DV)** के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरसी वेबसाइटों के साथ-साथ मैसेज (SMS) और ई-मेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि वे डीवी में उपस्थित होने के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकें।
- निगेटिव मार्किंग :** सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे।
- रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जाना :** सामान्यतः शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और उत्तरवर्ती परीक्षा चरणों के लिए रिक्तियों की निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं। ऐसा

उम्मीदवारों के टर्नअप न होने और भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह की अन्य अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने और उसमें अर्हता प्राप्त करने तथा दस्तावेज सत्यापन (DV) और चिकित्सा जांच के उत्तरवर्ती चरणों से यह अभिप्राय नहीं है कि उम्मीदवार की नामिका तैयार की जाएगी अथवा कि वह रेलों द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए कोई निहित अधिकार सुरक्षित रखता/रखती है।

विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पूर्णरूप से अनंतिम होगा, जो उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।
- 1.2 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान नोटिस में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार उनकी उचित फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। धुंधले/अयोग्य/गैर-मानक फोटो/हस्ताक्षर वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाए जाने पर अस्वीकार किए जा सकते हैं।
केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी/आरआरसी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके क्रेडेंशियल के साथ उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता का सत्यापन आगामी भर्ती चरणों अर्थात् पीईटी/मेडिकल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आदि में किया जाएगा।
- 1.3 आरआरबी/आरआरसी सभी चरणों की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अर्हता प्राप्त करने और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंड (जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उसका/उसकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- 1.4 इस अधिसूचना के अनुसार पद (पदों) के लिए आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवारों को स्वयं आश्वस्त कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएं) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2025 के अनुसार उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान द्वारा निर्गत अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्र हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले इसके लिए पात्र नहीं हैं और इसके लिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**
- 1.5 सूचना और/अथवा तथ्यों में मामूली फेरबदल के साथ एक से अधिक रेलवे को आवेदन का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन एवं/अथवा उसी रेलवे को बहु-आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित (डिबार) कर दिया जाएगा।
- 1.6 उम्मीदवारों को **अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का उल्लेख केवल SSLC/मैट्रिकुलेशन/SSC प्रमाण-पत्र के अनुसार करना चाहिए।** इसके अलावा, उम्मीदवारों को केवल प्रमाणपत्र के अनुसार

एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/एसएससी में अंकित रोल नंबर, प्रमाणपत्र संख्या और उत्तीर्ण वर्ष दर्ज करना चाहिए।

तथापि केवल ITI/NAC अर्हता वाले उम्मीदवार इन विवरणों को ITI/NAC प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रविष्ट कर सकता है।

(ए) नाम परिवर्तन की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में अपने परिवर्तित नाम जैसा कि 10वीं कक्षा/मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में अलग उचित स्थानों पर उल्लेखित नाम का ही उल्लेख करना चाहिए, परंतु अन्य विवरण मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण-पत्र से मेल होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि (या) ऐसे परिवर्तन संबंधी आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पहले के होने चाहिए।

(बी) ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.7 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आजीवन या निर्दिष्ट अवधि के लिए विरजित(डिबार) किया गया है और उनकी विरजित की गई अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के लिए आवेदन न करें। भर्ती के किसी स्तर पर भी ऐसे उम्मीदवारों का पता चलते ही उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र इकाई/ अन्य किसी सरकारी संस्थान द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वे इस अधिसूचना के लिए पात्र नहीं है, वे आवेदन न करें।

1.8 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में एक समान होने चाहिए और जो रनिंग हैंड में अवश्य हों, और जो बड़े अक्षरों में/अथवा, असंबद्ध अक्षरों में न हों। सीबीटी/पीईटी/डीवी आदि के समय विभिन्न शैलियों में किए गए हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट: हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षरित होने चाहिए। परीक्षा और/या डीवी और/या मेडिकल के समय प्राप्त आवेदक के हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन के हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा रेलवे भर्तियों के लिए आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है।

1.9 भागीदार आरआरबी/आरआरसी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी सीबीटी/पीईटी/डीवी परीक्षा की तिथियां प्रकाशित की जाएंगी। इसके पश्चात सीबीटी/पीईटी/डीवी के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। कोई भी ई-कॉल लेटर डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। ई-कॉल लेटर में निर्दिष्ट सीबीटी/पीईटी/डीवी के परीक्षा केंद्र, तिथि और शिफ्ट अंतिम होंगे और ई-कॉल लेटर में दर्शाए गए तिथि/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **आरआरबी/आरआरसी को बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/अथवा पीईटी, अतिरिक्त डीवी इत्यादि कराने का अधिकार है।**

1.10 सीईएन में निर्दिष्ट रिक्तियां अनंतिम हैं और रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किसी उत्तरवर्ती चरण में विशेष समुदायों/पदों/इकाइयों में यह बढ़ या घट सकती है अथवा पूरे तौर पर शून्य भी हो सकती है। रेलों द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग पर बाद में उन अतिरिक्त पदों को भी शामिल किया जा सकता है।

रेल प्रशासन को अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा ऐसे निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियों के रद्द किए जाने की स्थिति में ऐसे छूट प्राप्त श्रेणियों के उम्मीदवार, जो सीबीटी में उपस्थित हुए हैं, को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को शुल्क नहीं लौटाएं जाएंगे। शुल्क में छूट प्राप्त श्रेणियों की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें।

1.11 **पद (पदों) और/अथवा रेलवे/यूनिट (यूनिटों) के लिए प्राथमिकता :** चुने गए रेलवे में विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के विकल्प ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर आरआरसी द्वारा मेरिट के आधार पर केवल पात्र उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/यूनिट आवंटित किया जाएगा। एकबार उम्मीदवारों को उनकी

योग्यता/पसंद के अनुसार नामिकाबद्ध कर लिया गया है, तो वे किसी अन्य पद/श्रेणी पर विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे।

आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। यदि कुछ पदों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा।

उम्मीदवारों द्वारा विकल्प नहीं दिए जाने पर, यदि प्रशासनिक हित में आवश्यक समझा जाता हो, तो आरआरसी को उन्हें पद/रेलवे/यूनिट आवंटित करने का अधिकार है, बशर्ते अभ्यर्थी संबंधित पद की पात्रता को पूरा करते हों।

पैनल में रखे गए उम्मीदवारों के शार्टफल या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, आरआरसी को उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार है। तथापि यह नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को निहित अधिकार नहीं होगा।

- 1.12 **नियुक्ति का अधिकार** :आरआरबी/आरआरसी द्वारा चयन कर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। आरआरबी/आरआरसी का कार्य क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित करना है, जो बदले में रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंड के पूरा करने पर नियुक्ति पत्र प्रदान करता है।
- 1.13 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्यभार ग्रहण के समय, यथा लागू प्रतिभूति तथा/अथवा क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।
- 1.14 **पोस्टिंग**: सामान्यतः किसी रेल सेवक की नियुक्ति, उसके पूर्ण सेवाकाल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहां उनकी पहली नियुक्ति की गई थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तथापि सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल सेवक को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है। नवनियुक्त उम्मीदवार न्यूनतम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही अन्य रेलवे में स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पंजीकृत कर सकेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रेलवे का चयन उचित सावधानी और विचार-विमर्श के साथ करें।
- 1.15 अंतिमरूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.16 **निःशुल्क रेलयात्रा सुविधा** :अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास जारी किए जाएंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो यह निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हाँ' दर्शाना होगा और वैध जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए, निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास ई-कॉल लेटर का भाग होगा, जब उन्हें भर्ती के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/पीईटी/डीवी (यथा लागू) के लिए ऑनलाइन आवेदन में दिए गए और अपलोड किए गए विवरण के अनुसार बुलाया जाएगा। निःशुल्क यात्रा प्राधिकार की सुविधा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें, ऐसा न करने पर उनका यात्रा प्राधिकार, यात्रा और आरक्षण प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं होगा।
आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क और/अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए उनसे एससी/एसटी समुदाय के मूल प्रमाण-पत्र की मांग करेंगे। **इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उससे संबंधित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**
- 1.17 आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में इस सीईएन के अंतर्गत भर्ती के नियमों एवं शर्तों में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन/समावेश करने का अधिकार आरआरबी/आरआरसी को होगा।

- 1.18 आरआरबी/आरआरसी द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा आरआरबी/आरआरसी की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा निजी संगठनों के साथ संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

2.0 रिक्तियां :

- 2.1 विभिन्न पदों के पैरामीटर अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक, पीडब्ल्यूबीडी के पद की उपयुक्तता आदि) को इस सीईएन के **अनुलग्नक 'ए'** में देखा जा सकता है।
- 2.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्त पदों के आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे एवं पदवार रिक्तियों को **अनुलग्नक 'बी'** में देखा जा सकता है।
- 2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेल प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियां बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य-निर्देश का पैरा 1.11 देखें)

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएं) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित कार्यों को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। रेल कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों की चिकित्सकीय अपेक्षाएं नीचे उल्लिखित हैं :

क्र. सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए- 2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कुहरा परीक्षण नहीं) निकट दृष्टि : Sn. 0.6, 0.6 बिना चश्मे के और रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता आदि के लिए परीक्षण अवश्य उत्तीर्ण करना होगा।
2	ए-3	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, 6/9 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की क्षमता 2D से अधिक न हो) निकट दृष्टि : Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के और रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता आदि के लिए परीक्षण अवश्य उत्तीर्ण करना होगा।
3	बी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की क्षमता 4D से अधिक न हो) निकट दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के तथा रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता आदि के लिए परीक्षण अवश्य उत्तीर्ण करना होगा।
4	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की क्षमता 4D से अधिक न हो) निकट दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के तथा बायनोकुलर दृश्यता आदि के लिए परीक्षण अवश्य उत्तीर्ण करना होगा।
5	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के निकट दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के हों।

6	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूरदृष्टि: 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के शून्य निकटदृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब Sn. 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ।
---	------	------------------------------	--

नोट: उपर्युक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल खंड- 1 के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रैक्टरी त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जरी की प्रक्रिया करवाई है, वे चिकित्सा मानक A-2 और A-3 वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, लेसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन चिकित्सा मानक B-1, B-2, C-1 और C-2 के लिए पात्र हो सकते हैं: 1) उम्मीदवार में लेसिक सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी गई है। 2) लेसिक सर्जरी कम से कम एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए और जिस संस्थान में सर्जरी की गई थी, उसके विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। 3) लेसिक सर्जरी के बाद "अवशिष्ट कॉर्नियल थिकनेस" पैचीमैट्री पर 425 माइक्रॉन से कम नहीं होनी चाहिए। 4) दृश्य तीक्ष्णता आईआरएमएम, खंड 1, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 512(1) (ए) के अनुसार होनी चाहिए। 5) फंडस सामान्य होना चाहिए। 6) प्रगतिशील नेत्र रोग का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानक लागू होंगे, जैसा कि भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के पैरा 534 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के पैरा 511 (7) में विस्तृत रूप से पीडब्ल्यूबीडी के लिए चिकित्सा मानक, जिसे www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-1/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि उम्मीदवार चुने गए पदों के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस पास करने में असफल रहता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं तथा सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल खंड- 1 का अध्याय 5 पढ़ने की सलाह दी जाती है जिसे www.indianrailways.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण

यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं के द्वारा चुने गए पदों के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार योग्य हैं। आवेदित पदों के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जो उम्मीदवार A2 चिकित्सा मानक पदों के लिए विकल्प दे रहे हों, वे नोट करें कि इन पदों का चिकित्सा मानक कठिन हैं और इसलिए उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि दृष्टि और चिकित्सा मानकों दोनों के अनुसार उनकी निरोगता ऊपर निर्दिष्ट चिकित्सा नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

- भारत का नागरिक, अथवा
- नेपाल का नागरिक, अथवा
- भूटान का मूल निवासी, अथवा
- तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है, अथवा
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा,

संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जाइरे, इथियोपिया और वियतनाम से आकर भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से निवास कर रहा है।

f. बशर्ते यह कि उपर्युक्त बी, सी, डी और ई की श्रेणी संबद्ध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना आवश्यक हो तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही नियुक्ति दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा :

पद	सामान्य रूप से निर्धारित आयु (01.01.2025 तक)	इस CEN के लिए लागू आयु (01.01.2025 तक)*
लेवल - 1	18 से 33 वर्ष	18 से 36 वर्ष

*कोविड-19 महामारी के कारण रेल भर्ती परीक्षा में भाग लेने से वंचित उम्मीदवारों को छूट प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।

5.1 निम्नलिखित श्रेणियां/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन लागू है।

क्र.सं.	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट (या) अधिकतम ऊपरी आयु	
1	ओबीसी-नॉन क्रीमीलेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	एससी/एसटी	5 वर्ष	
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात 6 माह से अधिक की सेवा की है।	यूआर और ईडब्ल्यूएस	3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल	6 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		एससी/एसटी	8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी)	यूआर और ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल	13 वर्ष
		एससी/एसटी	15 वर्ष
5	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' में कार्यरत हैं रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	यूआर और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल	43 वर्ष
		एससी/एसटी	45 वर्ष
6	रेलवे संस्थान के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और संस्थानों में काम करने वाले उम्मीदवार	सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो	

क्र.सं.	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट (या) अधिकतम ऊपरी आयु
7	यूआर और ईडब्ल्यूएस	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (अधिकतम 3 वर्ष)
	रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप करने वाले ऐसे उम्मीदवार जो उन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है। अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के लिए आयु में छूट सहित अधिकतम 6 वर्ष)
	एससी/एसटी	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (एससी/एसटी वर्ग के लिए आयु में छूट सहित अधिकतम 8 वर्ष)
8	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5874-5875 वर्ष 2015, मोहन सिंह एव अन्य बनाम अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2015 व रिव्यू याचिका (सिविल) संख्या 1954-1955 वर्ष 2016 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 के अनुपालन में उम्मीदवारों (उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के कैंटीन स्टाफ) के लिए।	5 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद), अधिकतम आयु 60 वर्ष तक।

5.2 उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियां मिलाकर) :

क्र.सं.	आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इसके पश्चात नहीं)	पैरा 5.1 में दी गई तालिका में वर्णित समुदायों/श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार लागू होने पर आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। नोट - इस तालिका में दी गई एससी/एसटी और ओबीसी-एनसीएल के लिए जन्म तिथि सीमा में समुदाय की आयु में छूट शामिल है।
		यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी-नॉन क्रीमीलेयर	एससी/एसटी	सभी समुदायों / श्रेणियों के लिए	
1	18 से 36	02.01.1989	02.01.1986	02.01.1984	01.01.2007	

- 5.3 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट (गैर-संचयी) प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।
- 5.4 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू नहीं होगी।
- 5.5 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उसी आयु में छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू है।
- 5.6 **महत्वपूर्ण** : उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए, जो उनके मैट्रिक/एसएसएलसी/दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **जन्मतिथि में कोई भी अंतर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा।**

5.7 पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आयु में छूट पैरा 5.1 में दी गई है।

6.0 शैक्षणिक योग्यता :

कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताएं जानने के लिए **अनुलग्नक - 'ए'** देखें।

- इस सीईएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात **22.02.2025**) तक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय की अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता अवश्य होनी चाहिए।
- ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।
- लेवल-1 के पद के लिए कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस/आईटीआई के बदले में इंजीनियरी में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। सीसीएए के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5874-5875 वर्ष 2015, मोहन सिंह एव अन्य बनाम अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2015 व रिव्यू याचिका (सिविल) संख्या 1954-1955 वर्ष 2016 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 के अनुपालन में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के कैटिन स्टाफ को इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन करने की अनुमित प्रदान की गई है। कार्य के अनुभव को अधिभार देते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा सात उत्तीर्ण होना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस सीईएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा :

क्र.सं.	अभ्यर्थी की श्रेणी	शुल्क
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवार वर्ग के लिए। सीबीटी में सम्मिलित होने पर रु.500/- में से रु. 400/-की राशि पर लागू बैंक शुल्क काटकर शेष राशि की वापसी यथा समय की जाएगी।	रु. 500/-
2	पीडब्ल्यूबीडी/महिला/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदायों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) सीबीटी में सम्मिलित होने पर रु. 250/- यथा लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी यथा समय की जाएगी।	रु. 250/-

7.1 शुल्क भुगतान की विधि:

- ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई इत्यादि के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सुविधा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान मान्य नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/विलोपन संवर्धन के अनुसार अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रिया (पारसी) शामिल होंगे।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' से संबंधित शपथ पत्र में (अनुलग्नक- IV के अनुसार) यह प्रस्तुत करना होगा कि वे उपर्युक्त से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है, वे शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं (उपर्युक्त पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास निम्नलिखित में से एक का होना आवश्यक है -**

a) ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण के समय निर्धारित प्रारूप में जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटरहेड) पर जारी वैध आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए (अनुलग्नक -III 'ए' के अनुसार)। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :-

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य
- (3) राज्यसभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

(अथवा)

b) बीपीएल कार्ड अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र।

(अथवा)

c) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो शुल्क में छूट चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण-पत्र/बीपीएल कार्ड/ इज्जत एमएसटी से संबंधित विवरण भरने होंगे और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना होगा, **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।**

नोट : ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दो अलग-अलग श्रेणियां हैं और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवार केवल फीस में छूट के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

7.4 **परीक्षा शुल्क वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए) :**

(i) ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में, उम्मीदवारों को पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे पहले चरण के सीबीटी में भाग लेने पर परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (400/- रुपये या 250/- रुपये जो भी लागू हो) उस खाते में प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उन्होंने भुगतान किया है या वैकल्पिक रूप से लाभार्थी खाता प्रदान करें जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे लाभार्थी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम और उसका IFSC कोड। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा लागू बैंक शुल्क काटकर वापस किया जाएगा।

(ii) **सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और आरआरबी इस मामले में उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।**

(iii) **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदन पत्रों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

7.5 एसबीआई ई पे एस्केलेशन मैट्रिक्स (उम्मीदवारों के संपर्क के लिए विवरण)

	संपर्कनंबर	ईमेल आईडी	किसके लिए
लेन-देन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क	022-20876123 (24*7 ग्राहकसेवा)	sbiepay@sbi.co.in	आवेदक
	022-20876121	agm3.aggregator@sbi.co.in (दूसरे स्तर की उन्नति एस्केलेशन)	आवेदक

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

8.1 इस सीईएन में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर (ओबीसी-एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार तथा वर्तमान नियमों के तहत मांगकर्ता रेलवे उत्पादन इकाइयों द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में दिए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल) की व्यवस्था की गई है।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार, अनारक्षित उम्मीदवारों के मानदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जा सकते हैं। हालांकि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए **अनुलग्नक-I**, ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए **अनुलग्नक-II** और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए **अनुलग्नक-III** में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाए गए समुदाय/श्रेणी से संबंधित हैं और दस्तावेज सत्यापन के दौरान सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाण पत्र प्रदान करने के इस दावे को प्रमाणित करना चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/एक्सएसएम स्थिति के बारे में धोखाधड़ी के दावे या लाभों का अनुचित लाभ उठाने से आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं/भर्ती से अयोग्यता और वंचितता हो सकती है।

8.4 ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि " वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) द्वारा संशोधित में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।" *

*** (इस सीईएन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो)**

8.5 ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर क्रीमीलेयर में नहीं आता है। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध और अपना मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इसके अतिरिक्त **अनुलग्नक -II 'ए'** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में एक **स्व-घोषणा** प्रस्तुत करनी होगी कि 'वे क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं' अथवा, ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (ओबीसी-एनसीएल) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे

उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (यूआर) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.6 **महत्वपूर्ण:** इस सीईएन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को समुदाय/श्रेणी/ईडब्ल्यूएस की स्थिति के संबंध में विचार केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार के समुदाय/श्रेणी/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने से उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

8.7 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण :**

ऐसे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते और जिनकी परिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ देने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में की जानी है। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 08/2024 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22.02.2025 है। इसके अतिरिक्त उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी एक संपत्ति होगी, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो :

- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्गफुट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण का माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ-साथ उसके पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक-III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा :

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो तथा
- उस क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हों।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि को **अनुलग्नक - III** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन पर केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर

सकते हैं। तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करते समय, उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए लागू आयु सीमा में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, फिर भी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

8.9 डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य एवं अन्य के बीच सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के आलोक में, ऐसे उम्मीदवार जिनके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पान/सवासी/ पत्र (Panr)/तांती-तंतवा जाति के हैं और (बी) केवल बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से पलायन कर गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित समुदाय के अंतर्गत मानी जाएगी।

9.0 क्षैतिज (हॉरिजेंटल) आरक्षण :

9.1 इस सीईएन में किसी भी भूतपूर्व सैनिकों (एक्सएसएम), रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित पाठक्रम पूर्ण कर चुके एकट अप्रेंटिस (सीसीए) एवं दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

9.2 भूतपूर्व सैनिकों, रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए एवं पीडब्ल्यूबीडी के संबंध में जहां कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है बल्कि कुल रिक्तियों में शामिल की गई है।

9.3 इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में पिछली बैकलॉग पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जैसा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित है।

9.5 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अलग से निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनके विकलांगता के लिए अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जैसा कि पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए निर्धारित है।

9.6 नियमित पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरी गई हों, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियों के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

नोट : सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित विकलांगता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य विकलांगता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए वे उपयुक्त हैं। किसी भी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की गैर-उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है, उन पदों को मेरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो पीडब्ल्यूबीडी नहीं हैं) द्वारा भरा जाएगा।

9.7 रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए उम्मीदवार ऐसे पद (पदों) की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो सीसीए रिक्तियों के लिए अलग से निर्धारित नहीं है। इन पदों के लिए भी वे आयु में छूट के पात्र हैं।

10.0 भूतपूर्व सैनिक :

10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक में (युद्धशील अथवा गैर-युद्धशील) भारत संघ के नियमित जल, थल अथवा वायु सेना में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहिनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।

और

- a. वह व्यक्ति जो स्वयं के अनुरोध पर अथवा पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त अथवा कार्यमुक्त हुआ है। **(अथवा)**
 - b. ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की जा रही है, **(अथवा)**
 - c. जो स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया है, **(अथवा)**
 - d. जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर अथवा जो उसके स्वयं के अनुरोध पर अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग की अवधियों के लिए पेंशन धारक सम्मिलित है, **अथवा**
 - e. सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना का भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा के सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए हैं और जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है, **अथवा**
 - f. वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, **अथवा**
 - g. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले, **अथवा**
 - h. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।
- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक, जिनके सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (अर्थात् 22.02.2026 को या उससे पहले) (सशस्त्र बलों से) मुक्त होने की उम्मीद है, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनके पास इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2025 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

• जब चयन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से खुद को मुक्त कर लिया है "अर्थात् उसे दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक विचार किया जा सकता है जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है"।

• चूंकि ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन है कि उसे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से मुक्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और वह पूर्वोक्त नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में योग्य है, ऐसे उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान क्रमशः अनुलग्नक VI और अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न प्रारूपों में एक प्रमाण पत्र और एक वचनबद्धता प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- 10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में पूर्व सैनिक का लाभ लेकर असैनिक रोजगार (सिविल रोजगार) प्राप्त कर लिए हैं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और भूतपूर्व ग्रुप 'डी' के उच्च ग्रेड अथवा कैंडर में असैनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही प्रदान किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
- 10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस सीईएन के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के तिथिवार विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने पर भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू हैं।
- 10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) के खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) :

- 11.1 पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने उप-दिव्यांगता विवरण सहित, "बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत पद, मापदंड तालिका (अनुलग्नक-ए) में दर्शाया गया है।
बेंचमार्क दिव्यांग: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूबीडी) अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता निम्नानुसार हैं: -
- अंधापन और कम दृष्टि (वीआई);
 - बधिर और कम सुनने वाले (एचआई);
 - लोकोमोटर विकलांगता (एलडी) जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक होना, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल विकृति (एसडी) और स्पाइनल इंजरी (एसआई) शामिल हैं, बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/ अंग संबंधी शिथिलता के हो;
 - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;
 - खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक दिव्यांगता (एमडी) के लिए पहचाने गए पदों में बधिर-अंधापन सहित बहु दिव्यांगता।

नोट: अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कृपया भारत सरकार की वेबसाइट <https://depwd.gov.in/acts/> पर **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक भाग की जांच कर सकते हैं।**

आरपीडब्ल्यूबीडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा नीचे दी गई है:

11.2 निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा:

1. शारीरिक दिव्यांगता:-

- A) चलने-फिरने में अक्षमता (किसी व्यक्ति की मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की समस्या के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता), जिसमें शामिल हैं-
- (a) "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है-
- (i) हाथों या पैरों में संवेदना का न होना और साथ ही आंख और पलक में संवेदना का न होना और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;
- (ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए पर्याप्त गतिशीलता होना;
- (iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ" अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा;
- (b) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;
- (c) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;
- (d) "मांसपेशी डिस्ट्रोफी" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशीय रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष और मांसपेशीय कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;
- (e) "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।
- (f) रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के। न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के बिना एसडी/एसआई वाले व्यक्ति लोकोमोटर विकलांगता के तहत विकलांगता की सभी उप श्रेणी के लिए उपयुक्त हैं।

एसडी/एसआई से पीड़ित तथा अंग संबंधी विकार से पीड़ित व्यक्तियों को लोकोमोटर विकलांगता की संबंधित उप श्रेणी अर्थात् ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए के अंतर्गत माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

B) दृश्य हानि-

- (a) "अंधापन" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो-
- (i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या
- (ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम हो; या
- (iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।
- (b) "कम दृष्टि" का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:-
- (i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्नेलन) तक हो, जिसमें बेहतर संभव सुधार हो; या
- (ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक सीमित हो।
- (c) **श्रवण दोष-**
- (a) "बधिर" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण की हानि हो;
- (b) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण की हानि हो

(D) "भाषण और भाषा विकलांगता" का अर्थ है स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाणी और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक विकलांगता**, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें शामिल हैं-

(a) "विशिष्ट सीखने की विकलांगता" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलियाडिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं;

(b) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार**- "मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग के गिरफ्तार या अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता की विशेषता है।

4. दिव्यांगता के कारण-

(a) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे-

(i) "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक सूजन, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग, जिसमें कंपन, मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति होती है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ी होती है।

(b) रक्त विकार-

(i) "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी होती है, जिससे छोटे घाव में भी घातक रक्तस्राव होता है;

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक हीमोलिटिक विकार, जिसमें क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाएं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं होती हैं; "हीमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन निकलता है।

5. बहु विकलांगता (ऊपर बताई गई एक से अधिक विकलांगता) जिसमें बहरापन, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को सुनने और देखने में दोनों तरह की विकलांगता हो सकती है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं। बहु विकलांगता (एमडी) श्रेणी के तहत, केवल व्यक्तिगत विकलांगताओं के संयोजन वाले उम्मीदवार ही पद के लिए पात्र हैं जो स्वतंत्र रूप से योग्य हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

11.3. आरक्षण के लिए बेंचमार्क विकलांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 14 मार्च 2024 के नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक V(A), अनुलग्नक V(B) और अनुलग्नक V(C) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे।

11.4 स्क्राइब (लेखक) की सहायता:

11.4.1 अंधेपन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(D) के अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.4.2 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है, जो किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त हो। अभ्यर्थी अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा अनुलग्नक-V(D) के अनुसार घोषणा-पत्र जमा करने के पश्चात स्क्राइब (लेखक) की सहायता ले सकते हैं। 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई होने पर वे भी अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा अनुलग्नक-V(F) के अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं। लेखक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसका उल्लेख करना होगा। लेखक की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- इस तरह से नियुक्त किया गया लेखक स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है। साथ ही एक ही लेखक को एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेखक और उम्मीदवार को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना होगा। किसी भी स्तर पर यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और लेखक दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- लेखक का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक-V(D) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय लेखकों के लिए अतिरिक्त विवरण प्रदान करना होगा, ताकि आरआरबी लेखक के लिए ई-कॉल लेटर जारी कर सकें और उस पर उम्मीदवार और लेखक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेखक को सीबीटी केंद्र पर मूल और वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और अपने साथ पासपोर्ट आकार की फोटो लानी होगी।
- उम्मीदवारों के साथ आने वाले लेखकों को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा।
- उम्मीदवार परीक्षा के दौरान अपने साथ लाए गए लेखक की ओर से किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
- स्क्राइब की सहायता लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक मानक विकलांगता से पीड़ित हैं और स्क्राइब की सेवाएं लेना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे अनुलग्नक-V(D) में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर और यदि लागू हो तो अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सीबीटी केंद्र पर स्क्राइब के लिए निर्धारित शर्तों का विधिवत पालन करके स्क्राइब की सेवाएं ले सकते हैं। अनुलग्नक-V(D) में नए स्क्राइब की फोटो चिपकाने सहित प्रासंगिक विवरण भरने और कारणों को विधिवत दर्ज करने पर आपात स्थिति में स्क्राइब को बदलने की भी अनुमति दी जा सकती है।

- (h) स्क्राइब की नियुक्ति के संबंध में शर्तें सक्षम प्राधिकारी के विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- 11.5 सभी एक-आंख वाले अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दृष्टि विकलांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा तथा उन पर लेखक नियुक्त करने का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- 11.6 यदि 40% से कम विकलांगता वाले किसी उम्मीदवार को लिखने में कठिनाई हो रही है और वह स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें वह अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र और अनुलग्नक-V(F) के अनुसार स्व-घोषणा प्रस्तुत करने में सक्षम हो। उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
- 11.7 चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच के अधीन किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप हों।
- 11.8 जो रिक्तियाँ पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं उनके लिए यदि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति-नॉन क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत के अनुसार पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में प्रत्येक समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट:

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/एक्सएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियम/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। नियम/सीईएन में निर्धारित उनके दावे के समर्थन में उनके पास निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र होने चाहिए।

12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस

- 12.1 रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाण पत्र (एनएसी) पाने वाले के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां अलग से रिक्ति तालिका में दर्शाई गई हैं। यह बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) एवं पूर्व सैनिकों के मामले में क्षेत्रीय आरक्षण की प्रकृति का होगा। परंतु पीडब्ल्यूबीडी के मामले के विपरीत इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। शार्टफॉल की स्थिति में रिक्ति स्लॉटों को संयुक्त मेरिट सूची के अन्य उम्मीदवारों से भर लिया जाएगा।
- 12.2 इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् **22.02.2025** को अथवा इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप पूरा करने की कटऑफ तिथि होगी। किसी अभ्यर्थी को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा करने वाला तभी माना जाएगा, जब वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 22.02.2025 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ हो। उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा जारी एनएसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा नहीं करने पर वे इस प्रावधान के अंतर्गत सीसीए (रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित) आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 12.3 पाठ्यक्रम पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस (सीसीए) अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर न केवल उनके प्रशिक्षित रेलवे स्थापना के लिए बल्कि किसी भी आरआरबी/आरआरसी को आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- 12.4 पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिसों (सीसीए) को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए समुचित वेटेज प्रदान किया जाएगा, जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने पर एक तिहाई अंक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे।

- 12.5 ऐसी स्थिति में जहां एनसीवीटी का स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूलरूप से सीबीटी में प्राप्त अंकों से कम हैं, तो अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त दो अंकों में से उच्चतम/सर्वोत्तम अंक प्रदान किया जाएगा।
- 12.6 पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिसों (सीसीए) को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।
- 12.7 रेलवे में प्रशिक्षित कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस (सीसीए) को ऑनलाइन आवेदन के दौरान एनसीवीटी परीक्षा से संबंधित अपने अंकों का विवरण अपलोड करना होगा।
- 12.8 यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपने एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के विवरण को नहीं भरता है, तो उसे अंकों का वेतेज नहीं प्रदान किया जाएगा।

आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट:

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्वसैनिक/सीसीए(रेल स्थापना में प्रशिक्षित) के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उन्हें अपने दावे के समर्थन में पास नियमों/सीईएन में निर्धारित उनके दावे के समर्थन में यथानिर्धारित विहित प्रपत्र में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र उनके पास होने चाहिए।

13.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) :

- 13.1 रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित), केंद्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए आरआरबी/आरआरसी के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। **शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान नियोक्ता से प्राप्त एनओसी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**
- 13.2 उम्मीदवार यह नोट कर लें कि यदि संबंधित आरआरबी/आरआरसी में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

14.0 भर्ती प्रक्रिया :

- (a) उम्मीदवार को आरआरबी किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर उसके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उन्हें परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा।
- (b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे :
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी)
 - शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)
 - दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और
 - चिकित्सा जाँच (एमई)
- (c) सीबीटी परीक्षा की तिथि, शहर और स्थान की सूचना पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइट, एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से यथा समय दी जाएगी।
- (d) परीक्षा के किसी भी चरण के स्थगन अथवा स्थान, तिथि एवं पाली (शिफ्ट) हेतु किसी भी परिवर्तन संबंधी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) :

सभी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए ई-कॉल लेटर के अनुसार निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेना होगा। ई-कॉल लेटर डाउनलोड की सूचना वेबसाइट के साथ-साथ उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भी दी जाएगी।

सीबीटी के लिए परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है :

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)				प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	गणित	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय	
90*	25	25	30	20	100

* स्क्राइब के साथ आए हुए पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी।

उपरोक्त तालिका में दिए गए खंडवार वितरण केवल सांकेतिक है तथा वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ अंतर हो सकता है। **इसमें नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।**

विभिन्न श्रेणियों में शॉर्टलिस्टिंग के लिए अंको का न्यूनतम प्रतिशत : यूआर - 40%, ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी-एनसीएल - 30%, एसी - 30%, एसटी - 30%, पीडब्ल्यूवीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पीडब्ल्यूवीडी उम्मीदवार के अभाव में उनकी पात्रता हेतु 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

जहाँ दूसरे चरण की सीबीटी आयोजित करना आवश्यक समझा जाता हो, वहाँ रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह पहले चरण की सीबीटी को दूसरे चरण के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से अर्हक परीक्षा मान ले।

प्रश्न का प्रकार एवं पाठ्यक्रम :

वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं :

- गणित** : संख्या पद्धति, बॉडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु-गणना, कैलेंडर एवं क्लॉक, नल एवं टंकी इत्यादि।
- सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति** : अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीको द्वारा प्रस्तुति, जम्बलिंग, वेन आरेख, आंकड़ा निर्वचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णयन, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क एवं धारणाएं आदि।
- सामान्य विज्ञान** : इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में दसवीं स्तर (सीबीएसई) के भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे।
- समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी** : इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सूचीबद्ध विषय व्याख्यात्मक हैं और जरूरी नहीं कि यह विस्तृत हों।

14.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा

सीबीटी में उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर पीईटी के लिए आरआरबी/आरआरसी के अधिसूचित पदों की कुल रिक्तियों के **तीन गुणा** उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। फिर भी रेलवे को सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त/उचित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार इस अनुपात को बढ़ाने/घटाने का अधिकार है। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और यह अर्हक प्रकृति की होगी। पीईटी के लिए मानदंड निम्न प्रकार हैं :

पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
----------------	----------------

35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए और	20 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए और
1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट और 15 सेकेंड में एक ही चांस में दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।	1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट और 40 सेकेंड में एक ही चांस में दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

नोट:

1. पैरा 11.0 में यथानिर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पीईटी में सम्मिलित होने से छूट दी गई है। फिर भी, सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात, ऐसे उम्मीदवारों पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्धारित चिकित्सा जाँच उत्तीर्ण होना होगा।
2. यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे पीईटी में भाग लेने के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हैं। पीईटी में भाग लेने के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को होने वाली किसी भी चोट/नुकसान पहुँचने पर रेलवे उत्तरदायी नहीं होगा।
3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दो चरणों में होती है। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को पहले यथानिर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट दूरी तक वजन उठाने के लिए परीक्षा कराई जाएगी और यदि वे इस परीक्षा में सफल होते हैं, तो रिकवरी गैप के बाद उनकी दूसरी परीक्षा कराई जाएगी। पहली परीक्षा में असफल होने पर अर्थात् वजन न उठाने का मतलब है कि उस चरण में ही बाहर हो जाना। वजन उठाने की परीक्षा में एकबेंच/प्लेटफार्म से कमर की ऊंचाई पर एक रेत की थैली को (बिना किसी हैंडल के) उठाना होगा तथा उम्मीदवार को रेत की थैली को बिना जमीन पर रखे उसे गंतव्य बिंदु तक ले जाना होगा।
4. पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिसों (सीसीएए) को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।
5. **भूतपूर्व सैनिक:** भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। लेकिन सभी पूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा तथा सौधी भर्ती पद के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड तथा चिकित्सा जाँच में उत्तीर्ण होना होगा।
6. **गर्भवती महिला उम्मीदवार:** पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के लिए महिला उम्मीदवारों को रिपोर्ट करते समय अपनी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि वह घोषित करती है कि वह गर्भवती नहीं है, तो उन्हें पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। झूठी घोषणा के मामले में, पीईटी में भाग लेने का सारा जोखिम उनका स्वयं का होगा। यदि पीईटी से पहले महिला उम्मीदवार घोषित करती है कि वह गर्भवती है, तो उसके गर्भावस्था की पुष्टिकरण की जाँच की जाएगी और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और प्रसव समाप्त होने तक उसका पैनल स्थगित रखा जाएगा। जिस रिक्ति के लिए उस महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया था, उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत, प्रसव की तारीख के छह सप्ताह बाद पीईटी के लिए उसकी फिर से जाँच की जाएगी। यदि वह पीईटी और चिकित्सा जाँच में फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है और रेलवे बोर्ड के समय-समय पर संशोधित नियमों/निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। यदि गर्भावस्था पुष्टिकरण जाँच के बाद कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं पाई जाती है, तो उसे पीईटी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
7. **ट्रांसजेंडर उम्मीदवार:** महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) मानकों के समतुल्य शारीरिक दक्षता परीक्षा मानक ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी लागू होंगे।

14.3 दस्तावेज सत्यापन और उम्मीदवारों की नामिका तैयार करना :

सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन एवं पीईटी में अर्हता प्राप्त करने पर उनकी मेरिट के आधार पर, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर (अर्थात् 1:1 के अनुपात में) होगी।

उम्मीदवारों की सूची में शार्टफॉल अथवा अन्य अनिवार्यताओं की स्थिति में, आरआरबी/आरआरसी को उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

यदि दो या अधिक उम्मीदवार सामान्यीकृत (नार्मलाइज्ड) प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण उनके उम्र संबंधी मानदंड के आधार पर किया जाएगा अर्थात् अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को उच्च वरीयता दी जाएगी और समान उम्र होने पर वर्णक्रमानुसार (ए से जेड) नाम इस बराबरी को दूर करने के लिए किए जाएंगे।

चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता जाँच उत्तीर्ण करने, शैक्षिक एवं सामुदाय प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी।

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी/आरआरसी केवल पैनलबद्ध उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा करता है और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा ही प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक के दावे के संबंध में कपटपूर्ण दावा करने पर अथवा अनुचित लाभ उठाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं/भर्ती में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

15.0 अंकों का सामान्यीकरण (नार्मलाइजेशन) :

जब भी एक ही पाठ्यक्रम के लिए सीबीटी परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत (नार्मलाइज्ड) अंकों के आधार पर होगा।

16.0 आवेदन कैसे करें :

- a. उम्मीदवारों को त्रुटियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उम्मीदवार पैरा 21.0 (ए) में सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन मोड के माध्यम से अपनी पात्रता के अनुसार केवल किसी एक रेलवे के अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- b. उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर पैरा 21 (ए) में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'खाता बनाना' होगा। उनके पास खाता बनाने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित किसी भी सीईएन के लिए पहले से ही खाता बनाया है, तो उसे इस सीईएन (अर्थात् सीईएन नंबर 08/2024) के लिए लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। हालाँकि, पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को नवीनतम हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
- c. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अनिवार्य रूप से निम्नलिखित स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें :
 - (i) **उम्मीदवार की हाल ही में खींची गई, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (सादे सफेद पृष्ठभूमि पर) JPEG इमेज (आकार 50 से 100 KB) में - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने। रंगीन फोटो की विशिष्टताएँ निम्नानुसार होनी चाहिए:**
 - a. यह सफेद/हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाला रंगीन पासपोर्ट फोटो होना चाहिए। पोशाक सफेद नहीं होनी चाहिए, सामान्यतः गहरे रंग की होनी चाहिए। रंगीन फोटो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
 - b. इसका आकार 35mmX45mm या 320 x 240 पिक्सल होना चाहिए।
 - c. यह न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन के साथ स्कैन किए गए JPEG प्रारूप में होनी चाहिए।
 - d. फोटो का आकार 50-100KB के बीच होना चाहिए।
 - e. रंगीन फोटो किसी पेशेवर स्टूडियो में (नवीनतम फोटो) लिया गया होना चाहिए। मोबाइल और स्व-रचित चित्रों का उपयोग करके लिए गए फोटो के कारण आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
 - f. फोटो में उम्मीदवार का सामने का दृश्य स्पष्ट तथा बिना टोपी और/या हैट और धूप के चश्मे और/या काले चश्मे का होना चाहिए।

- g. फोटोग्राफ के कम से कम 50% एरिया में चेहरा होना चाहिए और पूरा चेहरा सीधे कैमरे की ओर देखते हुए होना चाहिए।
- h. फोटोग्राफ में चेहरा सिर के बालों, किसी कपड़े या किसी छाया से नहीं ढका होना चाहिए।
- i. माथा, आंखें, गाल, नाक, गर्दन, ठोड़ी और दोनों कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा, कोहनी/कोहनी के नीचे/छाती के नीचे का हिस्सा फोटो में दिखाई नहीं देना चाहिए। चेहरे का भाव स्वाभाविक होना चाहिए (मुस्कुराहट/भौं सिकोड़ना/भौंहें नहीं उठानी चाहिए)। आंखें स्पष्ट रूप से खुली होनी चाहिए और सीधे सामने की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फोटो उचित रिज़ॉल्यूशन, चमक और तीक्ष्णता और निरंतर टोन गुणवत्ता के साथ स्पष्ट होनी चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर/नाम/तारीख या कोई अन्य निशान नहीं होना चाहिए।
- j. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फोटो में चश्मे पर कोई चमक/प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- k. सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षा/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के समय खींचे गए फोटो में आवेदक के सभी चेहरे की विशेषताएँ ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत फोटो में चेहरे की विशेषताओं से मेल खानी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार की इन तस्वीरों में चेहरे की विशेषताओं में कोई मेल नहीं है, तो उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है और उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा रेलवे की भर्तियों से आजीवन वंचित (डिबार) किया जाएगा। इसके अलावा, सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षा/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के दौरान प्रस्तुत फोटो आईडी पर फोटो में चेहरे की विशेषताएँ ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो में चेहरे की विशेषताओं के समान होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो आईडी पर अपनी फोटो को हाल की फोटो के साथ अपडेट कर लें।
- l. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी उपरोक्त विनिर्देश के अनुसार ही पासपोर्ट फोटो अपलोड करना चाहिए, न कि विकलांगता प्रमाण पत्र में उपयोग की गई पूरे शरीर की फोटो।
- m. दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के उद्देश्य से, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटो की कम से कम 12 प्रतियाँ अपने पास रखें।
- (ii) रनिंग हैंडराइटिंग में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG छवि (आकार 30 से 50 KB)।
उम्मीदवार के हस्ताक्षर की विशिष्टताएँ निम्नानुसार होनी चाहिए:
- a. आवेदक को केवल काली स्याही वाली पेन से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
- b. हस्ताक्षर रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए और बड़े/कैपिटल अक्षरों में नहीं होने चाहिए।
- c. छवि JPEG प्रारूप में होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन हो।
- d. आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।
- e. फ़ाइल का आकार 30 KB - 50 KB के बीच होना चाहिए।
- f. हस्ताक्षर की छवि का उचित रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए और हस्ताक्षर की पूरी छवि ऑनलाइन आवेदन में उसके बॉक्स के केंद्र में दिखाई देनी चाहिए।
- (iii) एससी/एसटी प्रमाण पत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए निःशुल्क पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (500 केबी तक)।
- (iv) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी चाहिए (और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में प्रयुक्त पूरे शरीर की फोटो नहीं)।
- (v) स्क्राइब (केवल पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू): स्क्राइब का विवरण प्रदान करें, स्क्राइब की पासपोर्ट आकार की तस्वीर (सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि पर) जेपीईजी इमेज (आकार 50 से 100 केबी) में अपलोड करें - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने। स्क्राइब की जानकारी देना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को बदलने की आम तौर पर अनुमति नहीं है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में स्क्राइब की फोटो सहित प्रासंगिक विवरण भरने और कारणों को विधिवत दर्ज करने पर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।
- d. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं के माध्यम से कर सकते हैं।

कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। देशभर में लगभग 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) संचालित किए जा रहे हैं, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची www.csc.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार फाईंड माई सीएससी (<https://findmycsc.nic.in/csc/>) लिंक खोलकर अपने निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- e. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डाटा, शुल्क आदि को ध्यानपूर्वक भरकर जमा करना होगा। उन्हें पद (पदों) एवं रेलवे (रेलों) के लिए अपने विकल्प/वरीयता का भी उल्लेख करना होगा।

f. उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

g. महत्वपूर्ण :

- भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएं पैरा 21.0 (ए और बी) में सूचीबद्ध संबंधित आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएंगी।**
- उपरोक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, ताकि सभी सूचनाएं एसएमएस और/अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सके।
- आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल के पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि संबंधित आरआरबी/आरआरसी के साथ भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों एवं पत्राचार के लिए अपने **पंजीकरण संख्या को ध्यानपूर्वक नोटकर एवं संभालकर रखें।**

16.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश :

खाता बनाने के पश्चात, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें।

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी तथा जमा करने से पहले उसे एक बार पुनः जाँच लेना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा।
- परीक्षा का माध्यम : सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी तथा 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में (जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू) उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध परीक्षा माध्यमों में से किसी एक को चुनना होगा। सीबीटी परीक्षा के प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। अंग्रेजी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर /विसंगति / विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात, उम्मीदवार को पैरा 7.1के अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान की विधि चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण : कृपया भुगतान करते समय भुगतान की विधि के लिए इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय पर आवेदन प्रस्तुत करें। अनधिकृत वेबसाइटों से सावधान रहें।
- शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदक को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
- उम्मीदवार द्वारा आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी को आवेदन प्रस्तुत करने से परीक्षा केंद्रों में सुगम प्रवेश की सुविधा होगी तथा आवेदकों के लिए परीक्षा के पश्चात की प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी।
- उम्मीदवार को अपने डिजिलॉकर खाते के माध्यम से ई-कॉल लेटर प्राप्त करने के लिए डिजिलॉकर को सहमति प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

16.2 आवेदन में संशोधन :

- a. ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के पश्चात, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी एवं चयनित रेलवे को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना अथवा ठीक करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए रु. 250/- (नॉन-रिफंडेबल) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके कर सकता है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी तथा चयनित रेलवे को नहीं बदला जा सकता है।
- b. संशोधन शुल्क का भुगतान, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा।
- c. उम्मीदवार द्वारा एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी(एनसीएल) के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उन्हें परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अलावा रु.250/- का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- d. इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी से यूआर/ओबीसी(एनसीएल)/गैर-पूर्व सैनिक/गैर-पीडब्ल्यूबीडी आदि में तथा महिला/ट्रांसजेंडर से पुरुष आदि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अतिरिक्त रु. 250/- का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- e. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने के लिए प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- f. ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि अर्थात् 24.02.2025 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक की अनुमति होगी। संशोधन विंडो 25.02.2025 से 06.03.2025 (23:59 बजे) तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेंगे। इसके लिए संशोधन विंडो 25.02.2025 से 06.03.2025(23.59 बजे) तक खुली रहेगी। इस अवधि के पश्चात आरआरबी, आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगी।

16.3 अमान्य आवेदन/निरस्त आवेदन :

ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- (i) एक ही सीईएन के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी को कई आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। (ii) अमान्य फोटो (अर्थात् निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, 2 महीने से पुराना फोटो, टोपी/चश्मा/हेलमेट/हैट/काला चश्मा पहने हुए फोटो, विकृत फोटो, समग्र फ्रेम आकार की तुलना में छोटे आकार का फोटो, डार्क/विचलित करने वाला/सफेद न होने वाला पृष्ठभूमि वाला फोटो, पूरे शरीर का फोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का दृश्य दिखाने वाला फोटो, पहचान में न आने वाला फोटो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, समूह फोटो, सेल्फी फोटो, मोबाइल से लिया गया फोटो, मॉर्फेड फोटो, फोटो में पृष्ठभूमि/सिर के पीछे विचलित करने वाली छाया, कोहनी और/या कोहनी के नीचे के हिस्से को ढकने वाली फोटो और/या छाती के नीचे के हिस्से वाली फोटो, सिर/कंधा झुका हुआ फोटो, बगल/झुका हुआ दृश्य वाली फोटो, सिर की तरफ/ऊपर/नीचे वाली फोटो, फोटो में चेहरे पर/उस पार विचलित करने वाली छाया, पूरी तरह बंद आंखों वाली फोटो, फोटो में नीचे/साइड की ओर झुकी हुई, फोटो में आंखों/चेहरे पर बाल, फोटो में आई ग्लास पर चमक, खराब दृश्य वाली फोटो रिज़ॉल्यूशन/चमक/तीक्ष्णता/धुंधले/धुंधले रंग, पिक्सलेटेड फोटो, फोटो में अप्राकृतिक त्वचा टोन, हस्ताक्षर या नाम या तारीख या किसी अन्य निशान या क्षति (फटे, क्रीज, चिह्नित), फोटो में उलटी छवि, फोटो में रिक्त छवि आदि और फोटो के बिना ऑनलाइन आवेदन आदि।
- (iii) अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात् निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे रनिंग हैंडराइटिंग के बजाय ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों का उपयोग, खराब रिज़ॉल्यूशन, अपूर्ण छवि, अपूर्ण हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा अन्य छवि, कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त) छवि आदि।

- (iv) अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन।
 - (v) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 22.02.2025 तक पद(पदों) के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखना।
 - (vi) अधिक आयु या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।
 - (vii) किसी भी आरआरबी/आरआरसी की वंचित (डिबार) सूची में उम्मीदवार का नाम।
 - (viii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया हो।
 - (ix) कोई अन्य अनियमितता जो आरआरबी द्वारा देखी गई हो और अमान्य पाई गई हो।
- (B) **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण लॉग-इन करके ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति के कारण भी बताए जा सकते हैं जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक से सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश :

- (a) सीबीटी परीक्षा शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पैरा 21(ए) में दिए गए आरआरबी की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। पात्र उम्मीदवार सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और स्क्राइब के लिए, जहां लागू हो) सीबीटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले पैरा 21(ए) में दिए गए आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। तथापि परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- (b) पीईटी और डीवी शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पैरा 21(बी) में दिए गए आरआरसी की वेबसाइटों पर दिए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- (c) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।
- (d) सीबीटी/पीईटी/डीवी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश, ई-कॉल लेटर तथा पैरा 21 (ए और बी) में उल्लिखित आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों के माध्यम से दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पूर्णतया पालन करना चाहिए। निर्देशों के पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- (e) **निःशुल्क यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, जो निःशुल्क ट्रेन यात्रा के लिए पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) शामिल होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके ट्रेन टिकट आरक्षण कराने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान ये उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का **अपना मूल जाति प्रमाण-पत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान-पत्र** अपने साथ अवश्य रखेंगे, जिसमें चूक होने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।
- (f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (यथामतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उम्मीदवार के शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान-पत्र (यदि वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं) आदि की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(g) उम्मीदवारों को सीबीटी/डीवी/चिकित्सा जांच (एमई) में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो के अनुरूप रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो की एक प्रति अवश्य लाना होगा।

(h) उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आते समय ई-कॉल लेटर में दिए गए खाली स्थान को स्व-घोषणा पैराग्राफ (सीबीटी के दौरान स्क्रीन पर जैसा प्रदर्शित किया जाएगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए रिक्त रखना होगा।

चेतावनी : उम्मीदवारों को सीबीटी परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा हॉल/केंद्र पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में (यथा लागू) स्व-घोषणा का पैराग्राफ लिखना, हस्ताक्षर करना और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) लगाना होगा और परीक्षा समाप्ति से पूर्व उसे पर्यवेक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों/बड़े अक्षरों/अलग-अलग अक्षरों में हस्ताक्षर और/या पहले से स्व-घोषणा पैराग्राफ लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(i) उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली (शिफ्ट) में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को आरआरबी/आरआरसी स्वीकार नहीं करेगा।

18.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण-पत्रों के प्रारूप :

(a) दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

(b) इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियाँ (टू कलर में) और हस्ताक्षर अपने डीवी तिथि से पहले पोर्टल <https://oirms-ir.gov.in/rbdv> के माध्यम से अपलोड करें।

(c) सभी प्रमाण-पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/अंग्रेजी में प्रमाण-पत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहाँ/जब भी आवश्यक हो स्व-प्रमाणित अनुदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।

(d) दस्तावेज सत्यापन की तिथि के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(e) दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट :

i. ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों अथवा आयु सीमा में छूट के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित संबंधित दस्तावेज मूल प्रतियों में दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक/सीसीए/पीडब्ल्यूबीडी होने के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किए जाएंगे। सभी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। **अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ii. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से अनंतिम या नियमित होने चाहिए। यदि इन प्रमाण-पत्रों के जारी होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद है, तो समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के व्यक्तिगत अंक-पत्र के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूचियाँ सबमिट करनी चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में उत्तीर्णता तिथि उपलब्ध न हो, तो इस आशय का संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19.0 अनुचित साधनों का प्रयोग:

- (a) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना, गलत सूचना देना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना, अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाना, प्रतिरूपण करने का प्रयास करना, तो उसे आजीवन आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में बैठने से वंचित (डिबार) कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में [दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा" अधिनियम (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है] यह sansad.in>विधान>विधेयकों पर उपलब्ध है और भारत का राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।]
- (b) आरआरबी को कोई भी गलत सूचना प्रस्तुत करना या किसी भी स्तर पर किसी भी सूचना को जानबूझकर छिपाने पर, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे या किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (c) पात्रता हासिल करने और/या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली/नकली प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए पाए गए उम्मीदवारों की उस विशेष भर्ती के लिए उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे देश भर में सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 वर्ष की अवधि के लिए/जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो नवीनतम प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (d) उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव को नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (e) उम्मीदवार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार, अवांछित या अनुचित प्रभाव का कोई भी उपयोग संबंधित उम्मीदवारों को अयोग्य एवं उन्हें वंचित कर देगा। यदि आवश्यक हुआ तो नवीनतम प्रावधानों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

20.0 विविध :-

- 20.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधन/शुद्धिपत्र/नोटिस के लिए नियमित रूप से आधिकारिक आरआरबी/आरआरसी वेबसाइटों की जांच करते रहें।
- 20.2 भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति की स्थिति में, संबंधित आरआरबी को किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
- 20.3 आरआरबी को किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और उसकी पृष्ठभूमि की जाँच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार है।
- 20.4 आरआरबी/आरआरसी को (आवश्यकतानुसार) किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/पीईटी/डीवी आयोजित करने का अधिकार है। आरआरबी/आरआरसी को बिना कोई कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।
- 20.5 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क रेल पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के संबंध में आरआरबी/आरआरसी का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर आरआरबी/आरआरसी द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

- 20.6 आरआरबी/आरआरसी किसी असावधानी वश हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।
- 20.7 इस सीईएन के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होगा, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी/आरआरसी स्थित हैं।
- 20.8 व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइट में प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

21.0

(ए) विभिन्न आरआरबी का विवरण एवं उनकी वेबसाइटों के पता निम्नानुसार है :-

आरआरबी एवं रेलवे का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर	आरआरबी और रेलवे का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर
अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे)	www.rrbahmedabad.gov.in Phone: 079 – 22940858	गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे)	www.rrbgkp.gov.in Phone: 0551 – 2201209
अजमेर (उत्तर पश्चिम रेलवे)	www.rrbajmer.gov.in Phone: 0145 – 2425230	गुवाहाटी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)	www.rrbguwahati.gov.in Phone: 0361 – 2540815
बैंगलोर (दक्षिण पश्चिम रेलवे)	www.rbbnc.gov.in Phone: 080 – 23330378 080 -- 23334147	कोलकाता (पूर्वी रेलवे)	www.rrbkolkata.gov.in Phone: 6291516873
भोपाल (पश्चिम मध्य रेलवे)	www.rbbhopal.gov.in Phone: 0755 – 2746660	मुंबई (मध्य रेलवे)	www.rrbmumbai.gov.in Phone: 022 – 23090422
भुवनेश्वर (पूर्वी तटीय रेलवे)	www.rbbbs.gov.in Phone: 0674 – 2303015	पटना (पूर्व मध्य रेलवे)	www.rrbpatna.gov.in Phone: 0612 – 2677680
बिलासपुर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)	www.rbbilaspur.gov.in Phone: 07752 - 247291	प्रयागराज (उत्तर मध्य रेलवे)	www.rrbald.gov.in Phone: 0532 – 2224531
चंडीगढ़ (उत्तर रेलवे)	www.rrbcdg.gov.in Phone: 0172 – 2730093	रांची (दक्षिण पूर्व रेलवे)	www.rbranchi.gov.in Phone: 0651 - 2462429
चेन्नई (दक्षिणरेलवे)	www.rrbchennai.gov.in Phone: 044 – 28275323	सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे)	www.rrbsecunderabad.gov.in Phone: 040 – 27821663

बी. विभिन्न आरआरसी के विवरण एवं उनकी वेबसाइटों के पते निम्नानुसार हैं :-

आरआरसी	वेबसाइट का पता	आरआरसी	वेबसाइट का पता
मध्य रेलवे	www.rccr.com	उत्तर पश्चिम रेलवे	www.rrcjaipur.in
पूर्वी रेलवे	www.rccer.com	दक्षिण रेलवे	www.rccmas.in
पूर्व मध्य रेलवे	www.rcccr.gov.in	दक्षिण मध्य रेलवे	https://203.153.33.92/
पूर्वी तटीय रेलवे	www.rccbbs.org	दक्षिण पूर्व रेलवे	www.rccser.in
उत्तर रेलवे	www.rccnr.org	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	www.secr.indianrailways.gov.in
उत्तर मध्य रेलवे	www.rccald.org	दक्षिण पश्चिमरेलवे	www.rrchubli.in
पूर्वोत्तर रेलवे	www.ner.indianrailways.gov.in	पश्चिम रेलवे	www.rrc-wr.com
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	www.nfr.indianrailways.gov.in	पश्चिम मध्य रेलवे	www.wcr.indianrailways.gov.in

22.0 इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीइटी = शारीरिक दक्षता परीक्षा, डीवी = दस्तावेज सत्यापन एमई = चिकित्सा परीक्षण
आरक्षण/आयु में छूट वर्ग	सीसीए = कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमीलेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन-क्रीमीलेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग व्यक्ति	वीआई = नियमित दृष्टि बाधिता, (एलवी = कमजोर दृष्टि, बी=अंधा)एचआई = नियमित श्रवण बाधिता (डी=बधिर, एचएच = श्रवण बाधिता), एलडी = लोकोमोटर अशक्तता (ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ व एक पैर, एलसी= कुष्ठरोग उपचारित, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी=एसिड हमले के शिकार, बीएल = दोनों पैर, एसडी=रीढ़ की हड्डी की विकृति, एसआई = रीढ़ की हड्डी में चोट, एन/एल डीएफ= न्यूरोलॉजिकल/लिम्ब डिस्पैक्शन, एमडी = बहु अशक्तता, बी-वी आई= वैकलॉग दृष्टि बाधिता, वी-एचआई= वैकलॉग श्रवणबाधिता, बी-एलडी= वैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी= दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार
रेलवे जोन/उत्पादन इकाई/संगठन	सीएलडब्ल्यू=चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन म.रे.= मध्य रेलवे, पीएलडब्ल्यू=पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला, पू.रे.= पूर्व रेलवे, पू.म.रे.=पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तटीय रेलवे, आईसीएफ=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, एमसीएफ=मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वा.रे.=पूर्वात्तर रेलवे, पूर्वा.सी.रे.=पूर्वात्तर सीमांत रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिमरेलवे, पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू=उत्पादन इकाई, आरसीएफ=रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, आरडीएसओ=अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ, रे.=रेलवे, आरआरबी=रेल भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेल भर्ती प्रकोष्ठ, आरडब्ल्यूएफ=रेल पहिया फैक्ट्री, बेंगलुरु, द.रे.=दक्षिण रेलवे,द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.=दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेल भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, बीबी=मुंबई,बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, कोल=कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, पीएनबीई=पटना, पीआरवाईजे=प्रयागराज, आरएनसी=रांची, एसबीसी=बेंगलुरु, एससी=सिकंदराबाद
सामान्य	सीबीएसई = केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीईएन=केंद्रीयकृत रोजगार सूचना, आईएफएससी = भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, जेपीईजी=जाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी. = किलो बाइट, एलटीआई=बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई=एकीकृत भुगतान इंटरफेस
संस्थान/परिषद/प्रमाण-पत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण-पत्र, एनटीसी= राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाण-पत्र, एनसीवीटी= राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी= राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,

चेतावनी :

- प्रभाव के माध्यम से या अनुचित एवं अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रेलवे में नौकरी सुरक्षित कराने के झूठे वादे देकर धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें। आरआरबी/आरआरसी कभी अपनी ओर से कार्य के लिए किसी एजेंट अथवा कोचिंग सेंटर्स को बहाल नहीं करती हैं। व्यक्तियों/ऐजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे दावों के प्रति उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। शरारती तत्वों से सावधान रहें और उनके चुंगुल में न फंसें। आरआरबी/आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी/आरआरसी की केवल आधिकारिक वेबसाइटों को देखें और शरारती तत्वों/दलालों द्वारा प्रस्तुत नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया की सामग्री से सावधान रहें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री* गांव/शहर
..... जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* जाति/जनजाति से संबंधित है, जिसे
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
 - @संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
 - @संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
 - @संविधान (अनुसूचित जन जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
 - [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातिसूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर रक्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]
 - @संविधान (जम्मू और कश्मीर)* अनुसूचितजातिआदेश, 1956
 - @संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
 - @संविधान (दादरा और नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962
 - @संविधान (दादरा और नगरहवेली) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1962
 - @संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
 - @संविधान (उत्तरप्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
 - @संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
 - @संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
 - @संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
 - @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
 - @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
 - @संविधान (जम्मूऔरकश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
 - @संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
 - @संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
 - @संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
 - @संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 - @संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
 - @अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- समय-समय पर संशोधित।

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारीगांव/शहर*
.....जिला/मंडल*राज्य/संघ शासित प्रदेश*के जोजाति/जनजाति से
संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक द्वारा जारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के गांव/शहर*
.....जिला/मंडल*में रहता/रहती है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% वह पैराग्राफ हटाएँ, जो लागू न हो

टिप्पणी: (क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है। जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। 2. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं। 4. उस क्षेत्र का सब-डिविजनल ऑफिसर जहां उम्मीदवार और / या उसका / उसकी परिवार आमतौर पर रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों। 6. प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)।

ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती* गांव/कस्बा
जिला/मंडल राज्य/संघ शासित प्रदेश के
.....समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या दिनांक ** के तहत
पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी*
और/या उनका/उनकी परिवार सामान्यतः राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र के जिले/ मंडल में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं है और जिसे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) के तहत संशोधित किया गया है।***

दिनांक:.....

जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण उल्लेखित करना होगा।
जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।

*** समय-समय पर संशोधित।

टिप्पणी:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार रहता है।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2024 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के
समय प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

“मैं,पुत्र/पुत्री
 श्री.....गांव/कस्बा/शहर
जिला.....
 राज्यका निवासी हूँ, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं (अपनी उपजाति बताएं) समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.03.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ और इसके बाद के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

स्थान :..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....
 दिनांक:..... अभ्यर्थी का नाम.....
 आरआरबी पंजीकरण संख्या.....

सरकार
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या _____

दिनांक : _____

वर्ष के लिए वैध _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
.....गांव/गली.....डाकघर
..... जिला राज्य/संघ शासित प्रदेश
..... पिन कोड का स्थायी निवासी है, जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी "परिवार"*** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष
..... के लिए 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए) मात्र से कम है। उसके/उसकी परिवार के पास
निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ,
जो इस प्रमाण-पत्र को जारी
करने वाले प्राधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाएगा

हस्ताक्षर सहित मुहर

कार्यालय _____

नाम _____

पदनाम _____

* नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

** नोट 2: इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

***नोट 3: एक "परिवार" द्वारा अलग-अलग स्थानों या शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है, ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करना।

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण-पत्र

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सं. 08/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क में छूट का प्रारूप

प्रमाण-पत्र सं.

1. अभ्यर्थी का नाम:
 2. पिता का नाम:
 3. आयु:
 4. आवासीय पता:
 5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में):
-

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:.....

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से तात्पर्य उन अभ्यर्थियों से है, जिनके परिवार की आय 50,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम है। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं :-

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (2) लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां से वे सांसद हैं। सामान्य रूप से निवास करते हैं।
- (4) केंद्रीय मंत्री, देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 08/2024 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क छूट का प्रारूप

“मैं, पुत्र/पुत्री
 श्री.....गांव/कस्बा/शहर.
जिला.....राज्य.....
 का निवासी हूँ और एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं.....
 (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात
 मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/ज़ोरोस्ट्रियंस(पारसी)) से संबंधित हूँ।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

नोट: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम/ सिख /ईसाई/ बौद्ध /जैन /ज़ोरोस्ट्रियंस (पारसी) से संबंधित हैं।

फार्म-V

अनुलग्नक -V (ए)

विकलांगता प्रमाण-पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामले में या बौनापन और अंधापन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति की हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाण-पत्र संख्या: दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ध्यानपूर्वक जांच की है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री जन्मतिथि(दिनांक/माह/वर्ष) आयु.....वर्ष,
पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्यामकान संख्या
वार्ड/गांव/गलीडाकघर जिलाराज्य का
स्थायी निवासी है, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है और मैं संतुष्ट हूँ कि -

(A) वह निम्नलिखित का मामला है:

*चलन संबंधी विकलांगता

*बौनापन

*अंधापन

(कृपया जहां लागू हो वहां टिक करें)

(B) उसके मामले में निदान है।

(1) दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके(शरीर के अंग) के संबंध में स्थाई लोकोमोटर विकलांगता/बौनापन/अंधापन% (आंकड़ों में) प्रतिशत (शब्दों में) है। (.....दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जाए).

(2) आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

फॉर्म-VI
विकलांगता प्रमाण-पत्र

अनुलग्नक- V (बी)

(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति की
हाल ही खींचा गया
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटो
(केवल चेहरा दिखाते)

प्रमाण-पत्र संख्या: दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)
आयु वर्ष, पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या मकान संख्या
वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी है, जिसकी फोटो ऊपर चिपकाई
गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि :

(ए) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।
(.....दिशा-निर्देशों के जारी होने की संख्या और तारीख निर्दिष्ट की जाए) नीचे दिए गए विकलांगताओं के लिए और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दर्शाए गए हैं:

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर्स विकलांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बलता			
3	कुष्ठ रोग उपचारित			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक पीड़िता			
7	कम दृष्टि	#		
8	अंधापन	#		
9	बहरा	£		
10	श्रवण बाधिता	£		
11	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
12	बौद्धिक विकलांगता			
13	विशिष्ट अधिगम विकलांगता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बिमारी			
16	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17	मल्टीपल सिरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(बी) उपर्युक्त के आलोक में, दिशा-निर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं वाली है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार है:

i) आवश्यक नहीं है, या

ii) इसकी अनुशंसा वर्ष महीनों के बाद की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VII

विकलांगता प्रमाण-पत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अनुलग्नक -V (सी)

विकलांग व्यक्ति का
हालिया पासपोर्ट आकार
सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाते हुए)

प्रमाण-पत्र संख्या: दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री जन्मतिथि (दिनांक/माह/वर्ष) आयुवर्ष,
पुरुष/महिलापंजीकरण संख्या मकान संख्या वार्ड/गांव/गली
..... का स्थायी निवासी है, जिसकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है, का सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं
संतुष्ट हूँ कि वहविकलांगता का मामला है।

उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है
(..... संख्या और दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) नीचे दिए गए विकलांगताओं के
लिए और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक विकलांगता/ मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	कृष्ठ रोग उपचारित			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक पीड़िता			
6	कम दृष्टि	#		
7	बहरा	£		
8	श्रवण बाधिता	£		
9	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
10	बौद्धिक विकलांगता			
11	विशिष्ट सीखने की विकलांगता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बिमारी			
14	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	होमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(बी) उपर्युक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनकी समय स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन :

i) आवश्यक नहीं है, या

ii) इसकी अनुशंसावर्षमहीनों के बाद की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र(दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर; # उदाहरणार्थ एक आंख/दोनों आंखें; £ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित [(यदि प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर (मुहर के साथ)]	(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)
---	--

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 908(ई) दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

नोट: दृष्टि बाधित (VI) उम्मीदवार/जिनकी लेखन गति से सेरेब्रलपल्सी/मांसपेशियों के दुर्विकास से प्रभावित है/चलन संबंधी विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम
2. रोल नं.
3. सीबीटी परीक्षा केंद्र का नाम
4. अभ्यर्थी की योग्यता
5. विकलांगता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्मतिथि
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता :
(a) स्थायी पता
- (b) वर्तमान पता
10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता
11. उम्मीदवार के साथ स्क्राइब का संबंध, यदि कोई हो तो

यहां स्क्राइब का हाल ही में खींचा गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

फोटोग्राफ के नीचे बॉक्स में स्क्राइब का हस्ताक्षर

12. घोषणा :

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेल भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ लिया है/पढ़ लिया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उम्मीदवार ऊपर दिए गए बॉक्स में बाएं अंगूठे का निशान लगाएं

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

स्क्राइब ऊपर दिए गए बॉक्स में बाएं अंगूठे का निशान लगाएं

निरीक्षक के हस्ताक्षर

40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र

यहां अपनी विकलांगता को दर्शाते हुए हाल ही में लिया गया रंगीन फोटो चिपकाएं (फोटो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिए)

उपरोक्त प्रपत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर डिब्बा नीचे फोटो

1 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत परिवर्तित नहीं, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री श्रीमती _____ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती _____, निवासी _____ (गांव/पीओ/थाना/जिला/राज्य), आयु _____ वर्ष, जो _____ (प्रकृति

(विकलांगता/स्थिति), की जांच की गई और यह पाया गया कि उसका/उसकी शारीरिक अशक्तता इस स्तर की है, जिसके कारण उसकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उसे परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। और यह _____ तक वैध है। (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)

चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर एवं नाम	हस्ताक्षर & नाम	हस्ताक्षर और नाम
आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोविज्ञानी / रिहैबिलिएशन मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध)	व्यावसायिक चिकित्सक (अगर हो तो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा अध्यक्ष द्वारा नामित (यदि कोई हो)

(हस्ताक्षर और नाम)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन चिकित्सक / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारीअध्यक्ष

दिनांक:

स्थान:

सरकारी अस्पताल का नाम/स्वास्थ्य केंद्र

मुहर सहित

40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

नोट: ऐसे अभ्यर्थी जो दृष्टिबाधित (VI) हैं/ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मांसपेशियों की दुर्विकास से प्रभावित है/ऐसे अभ्यर्थी जो चलने-फिरने में अक्षम हैं (एक हाथ)/बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता और मानसिक बीमारी) वाले हैं, वे स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम
2. रोल नं.
3. सीबीटी केंद्र का नाम
4. अभ्यर्थी की योग्यता
5. विकलांगता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्म तिथि
8. अभ्यर्थी के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता :
(a) स्थायी पता
- (b) वर्तमान पता
10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता
11. यदि कोई हो तो स्क्राइब का अभ्यर्थी से सम्बन्ध

यहां स्क्राइब का हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

फोटोग्राफ के नीचे बॉक्स में
स्क्राइब के हस्ताक्षर

12. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ लिया है/पढ़कर सुनाया गया है और इसके द्वारा उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

बाएं अंगूठे का निशान
अभ्यर्थी ऊपर दिए गए बॉक्स में अपना नाम लिखें

बाएं अंगूठे का निशान
ऊपर दिए गए बॉक्स में अपना नाम लिखें

निरीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लेखन अशक्तता के संबंध में विकलांगता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री श्रीमती/सुश्री/ _____ (विकलांग अभ्यर्थी का नाम), _____ (विकलांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत), _____ के पुत्र पुत्री जो/ _____ (गांव (राज्य/जिला/का निवासी है की जांच की है और यह पाया गया कि उसका/उसकी शारीरिक अशक्तता इस स्तर की है, जिसके कारण उसकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उसे परीक्षा में लिखने के लिए लेखक की सहायता की आवश्यकता है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान:.....

दिनांक:.....

नोट: प्रमाण-पत्र संबंधित विशेषज्ञ द्वारा जारी किया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि - नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता - प्रथोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर)

**भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले नियोजित
ऑफिशियल के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

1. यह सूचित किया जाता है कि _____
श्री/कुमारी/श्रीमती _____
(यूनिट/कार्यालय) में _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने
_____ (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या
_____ दिनांक _____ के अनुसार विज्ञापित _____
_____ के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (नाम)
_____ (रैंक संख्या) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ:-

i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन,
_____ (तारीख) को _____ वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी
कर लेंगे/लेंगी। श्री/कुमारी/श्रीमती _____ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की तिथि को
_____ वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेंगे तथा सैन्य सेवा छोड़ने के समय
_____ वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेंगे।

ii. उन्हें पद पर चयन होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:.....

कमांडिंग ऑफिसर

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

**भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले
अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र**

1. मैं समझता हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रिलीज/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।
2. मैं यह भी समझता हूँ कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था.(आरक्षण), दिनांक 14.8.2014 के अनुसार, यदि मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता हूँ, तो मैं बाद के किसी भी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए जैसे ही मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होता हूँ मुझे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्व-घोषणा/वचन देना होगा, जिसके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, उन रिक्तियों के संबंध में जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

स्थान:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

दिनांक:

अनुलग्नक - ए

सीईएन संख्या- 08/2024 – पोस्ट पैरामीटर

कैट सं	पद का नाम	विभाग	उप_विभाग	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				आयु	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
					वीआई	एचआई	एलडी	एमडी		
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	उत्पादन इकाई	सी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ	18 से 36 वर्ष	10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी)।
			सिग्नल	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
			वर्कशॉप	सी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	वर्कशॉप	सी 1	बी, एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	ब्रिज	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं			
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	सी और डब्ल्यू	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	डीजल शेड	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	डीजल शेड	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
			विद्युत शेड	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
			उत्पादन इकाई	सी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
			वर्कशॉप	सी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	पी वे	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं			

अनुलग्नक - ए

सीईएन संख्या - 08/2024 - पोस्ट पैरामीटर

कैट सं	पद का नाम	विभाग	उप_विभाग	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				आयु	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
					वीआई	एचआई	एलडी	एमडी		
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	सामान्य सेवाएं	सी 1	बी, एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ	18 से 36 वर्ष	10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र (एनएसी)।
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी 1	एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
		विद्युत	उत्पादन इकाई	सी 1	बी, एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	ट्रेक मशीन	ए3	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	टीआरडी	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ)	हाँ		
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	ट्रैफिक	ए2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं		
14	ट्रेकमेनटेनर-IV	इंजीनियरिंग	पी वे	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं		

संक्षिप्त रूप : एस और टी = सिग्नल और दूरसंचार; वीआई = नियमित दृष्टि बाधिता, (एलवी = कमजोर दृष्टि, बी=अंधा) एचआई = श्रवण बाधिता (डी=बधिर, एचएच = श्रवण बाधिता), एलडी = लोकोमोटर अशक्तता (ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ व एक पैर, एलसी= कुष्ठरोग उपचारित, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी=एसिड हमले के शिकार, बीएल = दोनों पैर, एसडी=रीढ़ की हड्डी की विकृति, एसआई = रीढ़ की हड्डी में चोट, एन/एल डीएफ= न्यूरोलॉजिकल/लिम्ब डिस्पंक्शन, एमडी = बहु अशक्तता , बी-वी आई= वैकलॉग दृष्टि बाधिता, वी-एचआई= वैकलॉग श्रवणबाधिता, बी-एलडी= वैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद;

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पश्चिम रेलवे (मुंबई)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	प.रे.	180	69	29	119	45	442	88	88	30	9	16	20	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	प.रे.	127	39	18	77	33	294	60	60	20	6	10	13	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	प.रे.	13	5	2	7	3	30	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	प.रे.	162	58	29	103	38	390	78	78	0	8	14	17	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	प.रे.	12	5	2	7	3	29	6	6	2	1	1	1	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	प.रे.	67	25	12	45	20	169	34	34	12	3	6	7	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	प.रे.	50	18	9	30	11	118	24	24	8	2	4	5	0	0	0	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	प.रे.	25	10	5	17	6	63	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	प.रे.	14	5	2	11	4	36	7	7	2	1	1	2	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	प.रे.	69	25	10	43	17	164	32	32	11	3	6	7	0	0	0	0
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	प.रे.	21	8	4	14	5	52	10	10	0	1	2	2	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	प.रे.	89	33	14	58	21	215	43	43	0	5	8	9	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रेफिक	प.रे.	206	80	38	133	49	506	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रेकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	प.रे.	857	321	177	597	212	2164	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				1892	701	351	1261	467	4672	936	936	85	39	68	83	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

उत्तर पश्चिम रेलवे (जयपुर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	उ.प. रे.	36	9	8	15	8	76	14	14	3	5	17	11	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	उ.प. रे.	37	12	6	24	9	88	18	18	0	2	25	22	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	उ.प. रे.	6	2	0	0	2	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	उ.प. रे.	43	14	9	18	15	99	19	19	0	11	19	11	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	उ.प. रे.	13	2	3	3	4	25	5	5	0	0	7	5	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	उ.प. रे.	5	1	0	0	0	6	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	उ.प. रे.	8	3	1	5	3	20	4	4	2	3	3	3	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	उ.प. रे.	8	3	1	5	1	18	3	3	0	1	5	3	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	उ.प. रे.	26	9	4	9	11	59	12	12	3	3	11	9	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	उ.प. रे.	25	8	1	0	1	35	7	7	0	6	5	3	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	उ.प. रे.	5	2	0	1	1	9	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	उ.प. रे.	129	21	14	28	21	213	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	उ.प. रे.	456	105	30	109	75	775	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				797	191	77	217	151	1433	284	284	9	31	95	70	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

दक्षिण पश्चिम रेलवे (हुबली)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीए	बी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी बी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	आरडब्ल्यूफ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	द.प.रे.	5	1	1	2	1	10	2	2	3	2	0	1	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	आरडब्ल्यूफ	4	0	0	1	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	द.प.रे.	12	5	2	7	2	28	6	6	6	2	1	7	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	द.प.रे.	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	द.प.रे.	5	2	1	4	1	13	3	3	0	2	2	3	0	0	0	0
5	सहायक लोको शोड (डीजल)	यांत्रिक	द.प.रे.	4	1	1	2	1	9	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0
6	सहायक लोको शोड (विद्युत)	विद्युत	द.प.रे.	2	1	0	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	आरडब्ल्यूफ	4	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	द.प.रे.	0	0	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	द.प.रे.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	द.प.रे.	5	1	1	3	2	12	3	3	2	1	1	2	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	द.प.रे.	2	1	0	2	1	6	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	द.प.रे.	4	1	1	3	1	10	2	2	0	1	1	4	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	द.प.रे.	67	25	12	45	16	165	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	द.प.रे.	91	35	17	61	22	226	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				207	75	37	133	50	503	101	101	19	9	6	21	0	1	0	0
उपरोक्त रिक्तियों में आरडब्ल्यूफ, बैंगलोर की रिक्तियां शामिल हैं।																			

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पश्चिम मध्य रेलवे (जबलपुर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	प.म.रे.	42	18	5	24	10	99	20	20	4	2	3	2	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	प.म.रे.	28	9	4	18	7	66	13	13	4	2	2	1	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	प.म.रे.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	प.म.रे.	46	12	7	27	11	103	20	20	0	4	5	4	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	प.म.रे.	6	1	1	4	1	13	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	प.म.रे.	39	15	6	26	9	95	19	19	5	3	1	2	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	प.म.रे.	11	2	1	4	1	19	4	4	2	0	0	1	0	0	0	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	प.म.रे.	3	1	1	2	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	प.म.रे.	6	0	0	1	0	7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	प.म.रे.	6	2	2	3	0	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	प.म.रे.	31	7	3	11	5	57	11	11	0	1	1	3	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	प.म.रे.	38	19	5	35	10	107	22	22	0	3	2	3	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रेफिक	प.म.रे.	112	44	14	81	29	280	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रेकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	प.म.रे.	399	85	40	147	74	745	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				769	215	89	383	158	1614	323	323	16	17	16	16	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पूर्व तटीय रेलवे (भुवनेश्वर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पू.त.रे.	19	5	3	11	4	42	9	9	5	1	1	2	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	पू.त.रे.	37	8	3	11	6	65	13	13	0	1	0	1	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	पू.त.रे.	4	1	0	2	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	पू.त.रे.	33	12	6	22	12	85	17	17	0	4	3	4	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	पू.त.रे.	10	3	2	6	1	22	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	पू.त.रे.	4	1	1	2	1	9	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पू.त.रे.	2	1	0	2	1	6	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
8	सहायक पी. वे	इंजीनियरिंग	पू.त.रे.	4	3	1	3	1	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	पू.त.रे.	6	1	0	3	2	12	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	पू.त.रे.	4	2	1	3	1	11	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	पू.त.रे.	45	19	9	39	12	124	25	25	0	1	2	2	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	पू.त.रे.	9	3	2	4	0	18	4	4	0	2	1	0	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	पू.त.रे.	131	47	22	87	32	319	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	पू.त.रे.	97	33	17	62	22	231	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				405	139	67	257	96	964	193	193	9	10	9	10	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	द.पू.म.रे.	35	10	5	20	6	76	16	16	1	3	4	1	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशाप)	यांत्रिक	द.पू.म.रे.	15	4	2	7	2	30	6	6	0	2	2	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	द.पू.म.रे.	6	2	1	3	1	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	द.पू.म.रे.	38	15	9	26	11	99	19	19	0	5	5	1	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	द.पू.म.रे.	13	1	0	6	4	24	5	5	1	1	2	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	द.पू.म.रे.	7	2	1	4	1	15	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	द.पू.म.रे.	13	1	0	2	0	16	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0
8	सहायक पीवे.	इंजीनियरिंग	द.पू.म.रे.	4	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	द.पू.म.रे.	15	2	1	4	2	24	4	4	1	2	1	1	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	द.पू.म.रे.	13	3	1	6	2	25	5	5	0	6	2	0	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	द.पू.म.रे.	31	7	3	13	6	60	13	13	0	3	3	1	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	द.पू.म.रे.	172	62	30	111	41	416	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	द.पू.म.रे.	216	81	40	144	54	535	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				578	190	93	346	130	1337	269	269	3	27	19	4	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां
उत्तर रेलवे (नई दिल्ली)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पीएलडब्ल्यू	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	उ.रे	101	38	18	67	23	247	50	50	8	8	5	8	0	0	0	0
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	आरसीएफ	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	पीएलडब्ल्यू	35	11	5	21	7	79	16	16	2	1	1	0	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	उ.रे	221	45	21	117	37	441	89	89	5	5	6	3	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	आरसीएफ	37	13	7	24	9	90	18	18	1	2	1	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	उ.रे	53	20	10	35	13	131	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	उ.रे	225	80	40	143	54	542	108	108	0	17	14	14	0	0	0	0
5	सहायक लोको शोड (डीजल)	यांत्रिक	उ.रे	38	14	8	26	10	96	19	19	6	2	3	3	0	0	0	0
6	सहायक लोको शोड (विद्युत)	विद्युत	उ.रे	51	18	9	33	12	123	25	25	5	3	4	3	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पीएलडब्ल्यू	5	1	0	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	उ.रे	62	18	9	34	13	136	27	27	8	2	3	2	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	आरसीएफ	9	3	1	5	2	20	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	उ.रे	4	2	1	3	1	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	उ.रे	21	8	4	14	5	52	10	10	1	1	1	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	उ.रे	103	39	19	67	26	254	50	50	14	6	6	5	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	उ.रे	9	2	1	5	1	18	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	उ.रे	35	13	9	21	8	86	17	17	0	4	5	6	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रेफिक	उ.रे	243	90	45	161	61	600	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	उ.रे	753	276	139	498	183	1849	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				2008	691	346	1275	465	4785	955	955	52	53	49	44	0	0	0	0
उपरोक्त रिक्तियों में पीएलडब्ल्यू, पटियाला और आरसीएफ, कपूरथला की रिक्तियां शामिल हैं।																			

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां
दक्षिण रेलवे (चेन्नई)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	द.रे	64	6	11	10	8	99	21	21	2	4	5	2	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	आईसीएफ	147	70	37	135	56	445	89	89	4	4	4	4	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	द.रे	44	16	8	29	11	108	22	22	2	3	1	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	द.रे	6	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	द.रे	128	47	28	75	33	313	62	62	0	12	15	7	0	1	1	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	द.रे	24	10	6	15	7	62	12	12	3	2	2	1	0	0	0	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	द.रे	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	द.रे	15	7	3	11	4	40	8	8	1	0	2	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	द.रे	24	10	5	16	7	63	14	14	3	2	3	0	0	0	1	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	द.रे	32	11	5	18	7	73	14	14	0	5	1	0	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	द.रे	61	24	12	41	17	155	30	30	0	5	8	3	0	0	0	0
13	पॉइंटसमैन बी	ट्रैफिक	द.रे	87	32	21	42	17	199	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेनटेनर-IV	इंजीनियरिंग	द.रे	456	163	92	306	112	1129	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				1089	397	228	698	279	2694	540	540	15	37	41	17	0	1	2	0
उपरोक्त रिक्तियों में आईसीएफ, चेन्नई की रिक्तियां शामिल हैं।																			

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां
पूर्वी रेलवे (कोलकता)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पू. रे.	46	14	7	26	9	102	20	20	1	3	2	1	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	सीएलडब्ल्यू	15	4	2	8	3	32	6	6	1	0	1	0	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	पू. रे.	129	45	22	82	24	308	62	62	5	3	4	5	3	1	1	1
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	पू. रे.	3	1	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	पू. रे.	60	13	10	40	12	135	27	27	0	3	2	1	0	0	0	0
5	सहायक लोको शोड (डीजल)	यांत्रिक	पू. रे.	18	6	4	10	3	41	8	8	3	1	2	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शोड (विद्युत)	विद्युत	पू. रे.	35	14	13	9	6	77	16	16	6	2	2	3	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पू. रे.	18	7	5	9	2	41	9	9	2	1	2	3	0	0	0	0
8	सहायक पीवे.	इंजीनियरिंग	पू. रे.	4	1	0	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	पू. रे.	78	26	13	48	12	177	35	35	2	4	2	2	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	सीएलडब्ल्यू	6	1	1	1	1	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	पू. रे.	20	6	3	10	3	42	9	9	1	0	1	1	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	पू. रे.	0	2	2	12	5	21	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	पू. रे.	20	6	4	12	4	46	10	10	0	1	2	1	0	0	0	0
13	पाइंट्समैन बी	ट्रैफिक	पू. रे.	139	51	26	90	33	339	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	पू. रे.	176	65	32	118	44	435	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				767	262	144	477	161	1817	366	366	21	18	21	18	3	1	1	1

उपरोक्त रिक्तियों में सीएलडब्ल्यू चितरंजन की रिक्तियां भी शामिल हैं।

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका
सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पूर्वो.रे	18	7	4	13	4	46	10	10	1	2	2	1	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	एमसीफ	15	4	3	2	2	26	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	पूर्वो.रे	27	9	5	17	7	65	13	13	1	1	1	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	पूर्वो.रे	6	3	2	4	2	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	पूर्वो.रे	32	3	8	4	10	59	12	12	0	2	3	1	0	1	1	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	पूर्वो.रे	8	1	1	3	1	14	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	पूर्वो.रे	28	10	5	18	6	75	15	15	2	2	2	0	1	3	4	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	एमसीफ	5	2	1	3	1	12	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पूर्वो.रे	26	8	2	12	4	54	11	11	1	1	1	2	1	0	1	0
8	सहायक पी.वे	इंजीनियरिंग	पूर्वो.रे	14	5	2	9	2	32	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	पूर्वो.रे	8	3	2	6	2	21	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	पूर्वो.रे	7	3	2	3	1	18	3	3	1	0	1	0	1	1	0	0
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	पूर्वो.रे	6	2	1	3	1	13	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	पूर्वो.रे	15	4	2	7	2	32	7	7	0	2	2	1	0	0	1	1
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	पूर्वो.रे	118	39	24	51	27	259	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रेकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	पूर्वो.रे	265	112	70	130	50	627	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				598	215	134	285	122	1370	274	274	8	12	14	6	3	5	7	1

उपरोक्त रिक्तियों में एमसीएफ, रायबरेली की रिक्तियां भी शामिल हैं।

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (गुवाहाटी)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पू. सी. रे.	47	20	9	33	12	121	25	25	8	6	6	6	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	पू. सी. रे.	22	8	4	14	5	53	11	11	1	1	1	1	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	पू. सी. रे.	10	4	2	6	2	24	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	पू. सी. रे.	42	17	8	29	11	107	22	22	0	5	5	6	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पू. सी. रे.	37	14	8	24	9	92	19	19	10	2	3	1	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	पू. सी. रे.	8	3	1	6	3	21	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	पू. सी. रे.	43	14	7	28	11	103	20	20	5	3	4	3	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	पू. सी. रे.	12	4	2	8	3	29	6	6	0	1	1	1	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	पू. सी. रे.	54	20	11	35	14	134	26	26	0	7	5	7	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	पू. सी. रे.	112	42	20	75	27	276	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	पू. सी. रे.	441	163	81	294	109	1088	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				828	309	153	552	206	2048	409	409	26	27	27	27	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां
मध्य रेलवे (मुंबई)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	म.रे.	110	31	25	55	23	244	48	48	14	4	9	6	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	म.रे.	183	67	33	120	44	447	90	90	22	8	10	17	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	म.रे.	6	2	1	4	1	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	म.रे.	101	35	22	62	18	238	47	47	0	9	9	15	0	0	0	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	म.रे.	19	6	3	11	2	41	8	8	4	2	2	1	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	म.रे.	82	28	14	50	13	187	37	37	10	5	5	5	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	म.रे.	52	18	12	32	6	120	25	25	7	4	4	3	0	0	0	0
8	सहायक पीवे.	इंजीनियरिंग	म.रे.	4	1	1	3	1	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	म.रे.	78	28	14	51	19	190	38	38	9	4	6	5	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	म.रे.	76	23	13	43	11	166	34	34	8	4	4	7	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	म.रे.	35	12	6	22	8	83	17	17	0	3	2	4	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	म.रे.	133	44	24	68	20	289	58	58	0	11	10	13	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	म.रे.	177	63	30	110	34	414	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेनटेनर-IV	इंजीनियरिंग	म.रे.	339	122	59	214	67	801	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				1395	480	257	845	267	3244	650	650	74	54	61	76	0	0	0	0

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

पूर्व मध्य रेलवे (हाजीपुर)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	पू.रे.म.	28	10	5	18	6	67	13	13	12	6	4	8	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	आरडब्ल्यूपी	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	पू.रे.म.	7	2	1	3	1	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	पू.रे.म.	54	19	9	34	13	129	25	25	0	9	24	15	0	0	0	0
5	सहायक लोको शोड (डीजल)	यांत्रिक	पू.रे.म.	23	8	4	14	5	54	11	11	5	8	5	6	0	0	0	0
6	सहायक लोको शोड (विद्युत)	विद्युत	पू.रे.म.	3	1	1	2	1	8	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	पू.रे.म.	6	1	1	2	1	11	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0
8	सहायक पी. वे	इंजीनियरिंग	पू.रे.म.	13	5	2	8	3	31	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	पू.रे.म.	4	2	0	2	0	8	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	पू.रे.म.	56	20	10	37	14	137	27	27	0	2	17	12	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	पू.रे.म.	8	3	1	4	1	17	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रेफिक	पू.रे.म.	80	28	14	52	19	193	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रेकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	पू.रे.म.	236	87	43	157	58	581	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				518	186	92	333	122	1251	248	248	17	25	53	46	0	0	0	0

उपरोक्त रिक्तियों में आरडब्ल्यूपी बेला की रिक्तियां भी शामिल हैं।

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	उ. म. रे	61	17	22	32	16	149	29	29	8	4	6	6	1	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	उ. म. रे	79	28	13	50	17	187	38	38	2	2	3	0	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	उ. म. रे	9	4	1	2	1	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	उ. म. रे	57	0	10	3	9	82	16	16	0	5	5	4	0	1	1	1
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	उ. म. रे	4	0	0	0	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	उ. म. रे	24	0	4	3	4	36	8	8	3	1	0	1	1	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	उ. म. रे	16	4	7	4	3	35	8	8	3	1	2	0	0	0	1	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	उ. म. रे	10	0	0	2	2	16	3	3	1	1	0	1	0	1	0	1
11	सहायक ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	उ. म. रे	18	7	3	13	5	46	9	9	0	1	1	0	0	0	0	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	उ. म. रे	61	5	11	16	11	107	21	21	0	7	4	6	0	1	1	1
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रेफिक	उ. म. रे	308	41	57	67	46	519	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रेकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	उ. म. रे	341	123	62	221	74	821	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				988	229	190	413	189	2020	404	404	18	22	21	18	2	3	3	3

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

दक्षिण पूर्व रेलवे (कोलकता)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू-सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	द. पू. रे.	24	12	5	16	6	64	12	12	3	3	2	2	0	0	1	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	द. पू. रे.	50	18	9	33	12	122	24	24	0	2	2	1	0	0	0	0
3	सहायक ब्रिज	इंजीनियरिंग	द. पू. रे.	5	1	0	1	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	द. पू. रे.	29	19	6	21	8	87	18	18	0	4	4	2	0	2	1	1
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	द. पू. रे.	10	3	1	6	2	22	5	5	1	0	1	1	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	द. पू. रे.	9	4	2	6	4	29	5	5	2	1	2	0	2	0	1	1
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	द. पू. रे.	2	2	1	2	1	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	सहायक पी. वे	इंजीनियरिंग	द. पू. रे.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	द. पू. रे.	3	2	1	3	1	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	द. पू. रे.	7	4	2	4	3	23	4	4	3	0	2	1	0	2	1	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	द. पू. रे.	9	6	2	8	2	30	5	5	0	2	1	0	0	1	1	1
13	पॉइंट्समैन बी	ट्रैफिक	द. पू. रे.	65	27	9	36	14	151	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	द. पू. रे.	194	86	34	127	48	489	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				408	184	72	263	102	1044	206	206	10	12	14	7	2	5	5	3

सीईएन संख्या 08/2024 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवेवार एवं पदवार रिक्तियां

दक्षिण मध्य रेलवे (सिकंदराबाद)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या															
				अना	अजा	अजजा	अपिव	इ.डब्ल्यू.एस	कुल	भू.सैनिक	सीसीएए	वी आई	एल डी	एच आई	एम डी	बी वी आई	बी एल डी	बी एच आई	बी एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	सहायक (एस और टी)	एस और टी	द. म. रे.	54	18	14	29	9	124	25	25	3	5	4	2	0	0	0	0
2	सहायक (वर्कशॉप)	यांत्रिक	द. म. रे.	39	14	7	26	10	96	19	19	2	2	0	0	0	0	0	0
4	सहायक सी और डब्ल्यू	यांत्रिक	द. म. रे.	43	15	13	24	10	106	21	21	0	1	4	0	0	0	1	0
5	सहायक लोको शेड (डीजल)	यांत्रिक	द. म. रे.	10	4	3	6	2	25	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0
6	सहायक लोको शेड (विद्युत)	विद्युत	द. म. रे.	32	5	7	7	3	54	11	11	1	1	2	0	0	0	0	0
7	सहायक संचालन (विद्युत)	विद्युत	द. म. रे.	11	2	1	5	1	20	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0
8	सहायक पी. वे	इंजीनियरिंग	द. म. रे.	38	9	4	19	6	76	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सहायक टीएल और एसी (वर्कशॉप)	विद्युत	द. म. रे.	11	4	2	8	3	28	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0
10	सहायक टीएल और एसी	विद्युत	द. म. रे.	28	8	9	13	3	61	12	12	3	1	2	1	0	0	0	0
11	सहायक ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	द. म. रे.	36	12	6	23	8	86	17	17	0	1	1	1	0	0	1	0
12	सहायक टीआरडी	विद्युत	द. म. रे.	27	11	6	17	5	66	13	13	0	2	6	2	0	0	0	0
13	पाइंट्समैन बी	ट्रैफिक	द. म. रे.	83	30	23	53	20	209	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ट्रैकमेन्टेनर-IV	इंजीनियरिंग	द. म. रे.	298	103	49	185	56	691	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				710	235	144	415	136	1642	327	327	14	14	20	6	0	0	2	0